

## विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
1. परिचायक टिप्पणी	(iii)
<b>भाग क - प्राप्तियां</b>	
2. प्राप्तियों का सार	1
3. कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमानों का सारांश	
I. कर राजस्व	2-6
II. कर-भिन्न राजस्व	7-13
III. पूंजीगत प्राप्तियां	14-20
<b>अनुबन्ध:</b>	
1. प्राप्तियों की प्रवृत्तियां	21
2. अनुबंध 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	22
3. वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान	23-24
4. ब.अ. 2019-2020 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	25
4क. सं.अ. 2018-2019 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	26
4ख. वास्तविक 2017-2018 हेतु केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण	27
5. जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)	28
6. कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि	29
7. 31 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग	30

## भाग ख - परिसंपत्ति एवं देनदारी विवरण

1.	भारत सरकार के ऋण की स्थिति	31
	(i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण	32
	(ii) परिसम्पत्तियों का विवरण	33
	(iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां	34-36
	(iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर	37
2.	केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा	38-40
2क.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	40
2ख.	मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड	40
2ग.	विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां	40
2घ.	पोलिफ का प्रतिभूतिकरण	40
2ङ.	तेल विपणन कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	40
2च.	उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	40
2छ.	भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां	40
2ज-ट.	विभिन्न संस्थाओं को जारी विशेष बांड	40
2ठ-ड	सरकारी क्षेत्र के बैंकों/एग्जिम बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां	41-42
3.	राष्ट्रीय लघु बचत निधि	43-44
4.	वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी	45-47
5.	विदेशी सहायता	48-50
6.	2019-2020 में चुकाने के लिए बकाया बाजार ऋण	51

## परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज को दो भागों; भाग क-प्राप्तियाँ और भाग ख-परिसंपत्ति एवं देयता विवरणों में विभाजित किया गया है।

भाग क में सभी प्रकार की प्राप्तियों के ब्यौरे एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ-साथ उनका सार दिया गया है। इसमें कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत (ऋण एवं ऋण-भिन्न) प्राप्तियों से संबंधित विवरण हैं। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें अंतरित संसाधनों की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक (2017-18), संशोधित अनुमान (2018-19) और बजट अनुमान (2019-20) के अंतरण के राज्यवार अनुमान क्रमशः अनुबंध 4, 4क और 4ख में दिए गए हैं। ये विवरण मोटे तौर पर राज्यों को अपने वित्त साधनों की योजना बनाने व नकदी प्रबंधन में भी सहायता करते हैं।

भाग ख में सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण सन्निहित हैं। वार्षिकी परियोजनाओं, कर-भिन्न राजस्व के बकायों, जुटाए गए परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व, परिसंपत्तियों और गारंटियों संबंधी विवरण एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिदेशित हैं। ये विवरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

भारत सरकार की ऋण रूपरेखा के विभिन्न आयाम भाग-ख में परिसंपत्तियों और देनदारियों संबंधी विवरणों द्वारा दर्शाए गए हैं। ये विवरण देश की ऋण देनदारी की मात्रा और संरचना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

2017-18 के लिए वास्तविक आंकड़े अनंतिम हैं।

प्राप्तियों का सार

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019	संशोधित अनुमान 2018-2019	बजट अनुमान 2019-2020
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>				
<b>1. कर राजस्व</b>				
सकल कर राजस्व	<b>1919008.71</b>	<b>2271241.56</b>	<b>2248175.20</b>	<b>2552131.00</b>
निगम कर	571201.87	621000.00	671000.00	760000.00
आय कर	430772.03	529000.00	529000.00	620000.00
धन कर	63.43	...	...	...
सीमा शुल्क	129029.92	112500.00	130038.00	145388.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	259431.28	259600.00	259612.20	259600.00
सेवा कर	81228.07	...	9283.00	...
माल और सेवा कर (जीएसटी)#	442561.43	743900.00	643900.00	761200.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	4720.68	5241.56	5342.00	5943.00
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	<b>3515.12</b>	<b>2500.00</b>	<b>2315.00</b>	<b>2480.00</b>
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	<b>673005.29</b>	<b>788092.52</b>	<b>761454.15</b>	<b>844605.48</b>
केन्द्र का निवल कर राजस्व	<b>1242488.30</b>	<b>1480649.04</b>	<b>1484406.05</b>	<b>1705045.52</b>
<b>2. कर-भिन्न राजस्व</b>				
ब्याज प्राप्तियां	13574.08	15162.05	12047.32	12911.23
लाभांश तथा लाभ	91360.47	107311.96	119264.55	136071.44
अन्य कर-भिन्न राजस्व	85920.18	120552.64	111888.52	121515.40
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	1889.62	2062.10	2076.00	2149.00
जोड़ कर-भिन्न राजस्व	<b>192744.35</b>	<b>245088.75</b>	<b>245276.39</b>	<b>272647.07</b>
<b>I. जोड़ राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>1435232.65</b>	<b>1725737.79</b>	<b>1729682.44</b>	<b>1977692.59</b>
<b>3. पूंजी प्राप्तियां</b>				
<b>क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां</b>				
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	15633.28	12199.08	13155.16	12507.72
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	100045.05	80000.00	80000.00	90000.00
जोड़	<b>115678.33</b>	<b>92199.08</b>	<b>93155.16</b>	<b>102507.72</b>
<b>ख. ऋण प्राप्तियां*</b>				
1. बाजार ऋण (निवल)	450728.31	462061.49	422736.92	473122.01
2. अदायगी के लिए बाजार ऋण	137271.69	143477.87	148263.08	236877.99
3. वापसी खरीद के लिए बाजार ऋण	41555.07	71941.00	...	50000.00
4. स्विचिंग हेतु बाजार ऋण	59158.98	28059.00	28059.00	50000.00
5. घटाइए स्विचिंग हेतु भुगतान	-58075.00	-28059.00	-28059.00	-50000.00
6. बाजार ऋण (सकल) (1+2+3)	629555.07	677480.36	571000.00	760000.00
7. अल्पावधिक/रा. हुंडी उधार	44949.43	17000.00	25000.00	25000.00
8. विदेशी ऋण (निवल)	7930.74	-2588.61	-4893.12	-2952.05
9. अल्प बचतों के लिए जारी प्रतिभूतियां	102627.95	75000.00	125000.00	130000.00
10. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	15798.67	17000.00	17000.00	18000.00
11. अन्य प्राप्तियां (निवल)^	5407.31	84678.55	8352.70	59531.61
12. जोड़ ऋण प्राप्तियां (1-3+4+5+7+8+9+10+11)	586971.32	581210.43	593196.50	652701.57
<b>II. जोड़ पूंजी प्राप्तियां (क+ख12)</b>	<b>702649.65</b>	<b>673409.51</b>	<b>686351.66</b>	<b>755209.29</b>
<b>4. नकदी शेष में आहरण से कमी</b>	<b>4092.39</b>	<b>43066.00</b>	<b>41200.92</b>	<b>51297.67</b>
जोड़ प्राप्तियां (I+II)	<b>2137882.30</b>	<b>2399147.30</b>	<b>2416034.10</b>	<b>2732901.88</b>
एमएसएस के अधीन प्राप्तियां (निवल)	...	...	...	...

@ राज्यों से अल्पावधिक ऋण और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल नहीं हैं।

# जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।

\* प्राप्तियां भुगतान को घटाकर

^ आरक्षित निधियों, जमा राशि और अग्रिम आदि से प्राप्तियां शामिल हैं।

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	(₹ करोड़) बजट 2019-2020
<b>कर राजस्व</b>						
<b>1. निगम कर</b>						
1.01.	संग्रहण	0020	486113.18	527750.39	575795.77	652168.08
1.02.	अधिभार	0020	21439.48	63711.15	64777.02	73368.91
1.03.	शिक्षा उपकर / स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	16305.02	29538.46	30427.21	34463.01
1.04.	शास्तियां	0020	1526.86	...	...	...
1.05.	व्याज वसूली	0020	3209.30	...	...	...
1.06.	घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर कर	0020	41180.67	...	...	...
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	879.45	...	...	...
1.08.	विविध प्राप्ति	0020	547.91	...	...	...
जोड़-निगम कर			571201.87	621000.00	671000.00	760000.00
<b>2. आय पर कर</b>						
2.01.	संग्रहण	0021	388197.66	461182.33	461182.33	540590.16
2.02.	अधिभार	0021	3172.17	36894.59	36894.59	43232.64
2.03.	शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर	0021	11869.08	19923.08	19923.08	23377.20
2.04.	शास्तियां	0021	424.93	...	...	...
2.05.	व्याज वसूली	0021	4318.02	...	...	...
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	9.94	...	...	...
2.07.	विविध प्राप्ति	0021	99.63	...	...	...
2.08.	बैंकिंग नकद लेन देन कर (बीसीटीटी)	0036	0.01	...	...	...
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	11881.40	11000.00	11000.00	12800.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.50	...	...	...
2.11.	व्याज कर	0024	4.45	...	...	...
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-93.29	...	...	...
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	10887.53	...	...	...
2.13.01.	व्यय कर	0028	...	...	...	...
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	...	...	...	...
2.13.03.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 हेतु कराधान और निवेश व्यवस्था	0028	...	...	...	...
2.13.04.	अन्य प्राप्ति	0028	...	...	...	...
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			10887.53	...	...	...
2.14.	भू राजस्व	0029	...	...	...	...
2.15.	स्टांप एवं पंजीकरण	0030	...	...	...	...
2.16.	कृषि कल्याण उपकर	0028	...	...	...	...
जोड़-आय पर कर			430772.03	529000.00	529000.00	620000.00
<b>3. धन कर</b>						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	0.84	...	...	...
3.02.	धन पर कर	0032	62.59	...	...	...
3.03.	उपहार कर	0033	...	...	...	...
जोड़-धन कर			63.43	...	...	...
<b>4. सीमा शुल्क</b>						
4.01.	आयात शुल्क					
4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	80754.66	96300.00	115238.00	130624.00
4.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	33488.61	...	1500.00	...
4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	9603.44	...	50.00	...
4.01.04.	मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	0037	...	...	...	...

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
4.01.05.	हाई स्पीड डीजल तेल पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	0037	6.77	...	3.00	...
4.01.06.	मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क	0037	...	...	...	...
4.01.07.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	576.68	750.00	515.00	545.00
4.01.08.	शिक्षा उपकर	0037	2014.20	...	38.00	...
4.01.09.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	984.32	...	14.00	...
4.01.10.	समाज कल्याण अधिकार	0037	1206.99	8000.00	9000.00	...
<i>जोड़-आयात शुल्क</i>			<i>128635.67</i>	<i>105050.00</i>	<i>126358.00</i>	<i>10080.00</i>
4.02.	निर्यात शुल्क	0037	163.72	288.00	200.00	224.00
4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	230.53	112.00	280.00	315.00
4.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	...	7050.00	3200.00	3600.00
4.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की बिक्री	0037	...	...	...	...
4.06.	जन्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	...	...	...	...
4.07.	एंटी डंपिंग शुल्क	0037	...	...	...	...
4.08.	सुरक्षा शुल्क	0037	...	...	...	...
<i>जोड़-सीमा शुल्क</i>			<i>129029.92</i>	<i>112500.00</i>	<i>130038.00</i>	<i>145388.00</i>
<b>5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क</b>						
5.01.	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	0038	116886.22	94000.00	93777.00	81565.00
5.02.	मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	21935.11	...	...	...
5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	61181.31	...	...	...
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	2938.44	1750.00	1800.00	1935.00
5.05.	मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	27343.04	36000.00	32000.00	32000.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	989.70	...	0.18	...
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	12.89	...	2.75	...
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	5.59	...	1.41	...
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	13579.21	14850.00	19000.00	20900.00
5.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	32.60	...	0.02	...
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	793.40	...	8.35	...
5.07.06.	ऑटोमोबाइल पर उपकर	0038	96.42	...	0.08	...
5.07.07.	अन्य	0038	48.61	...	0.50	...
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	11463.43	...	2.83	...
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	903.90	...	6.88	...
5.07.10.	मोटर स्पिरिट हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर)	0038	...	113000.00	113000.00	120000.00
<i>जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर</i>			<i>26936.05</i>	<i>127850.00</i>	<i>132022.82</i>	<i>140900.00</i>
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
5.08.01.	कोयला और कोक	0038	323.30	...	2.00	...
5.08.02.	नमक	0038	...	...	...	...
5.08.03.	रबड़	0038	90.81	...	10.00	...
5.08.04.	अन्नक	0038	...	...	...	...
5.08.05.	लौह अयस्क, मैगनीज और क्रोम अयस्क	0038	...	...	...	...
5.08.06.	चूना पत्थर और डोलोमाइट	0038	...	...	...	...
5.08.07.	सिने कर्मी	0038	...	...	...	...
5.08.08.	प्रदूषण (वायु और जल) निवारण और नियंत्रण	0045	181.10	...	0.20	...
5.08.08.01.	व्यय की तुलना में निवल प्राप्तियां	0045	-174.82	...	...	...

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
<i>निवल</i>		6.28	...	0.20	...	
5.08.09.	अनुसंधान और विकास	191.41	...	...	...	
5.08.10.	बीडी निधि	11.48	...	...	...	
5.08.11.	अन्य खातों के अंतर्गत उपकर	...	...	...	...	
5.08.12.	वस्त्र और वस्त्र मशीनरी पर संग्रहित उपकर	0.47	...	...	...	
<i>निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर</i>		623.75	...	12.20	...	
<i>निवल-केंद्रीय उत्पाद शुल्क</i>		258833.62	259600.00	259612.20	259600.00	
<b>6. सेवा कर</b>						
6.01.	संग्रहण	74150.66	...	8655.00	...	
6.02.	शिक्षा उपकर	34.91	...	12.00	...	
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	19.20	...	6.00	...	
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	4243.40	...	240.00	...	
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	2779.90	...	370.00	...	
<i>जोड़-सेवा कर</i>		81228.07	...	9283.00	...	
<b>7. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क</b>						
7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	...	...	...	...	
7.02.	अन्य कर	597.66	...	...	...	
<i>जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क</i>		597.66	...	...	...	
<b>8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)</b>						
8.01.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	203261.40	603900.00	503900.00	610000.00	
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	176688.44	50000.00	50000.00	50000.00	
8.03.	जीएसटी प्रतूरती उपकर प्रतिपूर्ति	62611.59	90000.00	90000.00	101200.00	
<i>जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)</i>		442561.43	743900.00	643900.00	761200.00	
<b>9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर</b>						
9.01.	भू राजस्व	4.08	8.75	10.00	39.00	
9.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	205.37	225.80	224.00	228.00	
9.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	780.00	1000.00	1059.00	1137.00	
9.04.	बिक्री कर	1706.49	1165.00	1235.00	1418.00	
9.05.	वाहनों पर कर	217.83	256.00	236.00	250.00	
9.06.	सामान और यात्रियों पर कर	11.25	12.00	12.00	13.00	
9.07.	विजली पर कर और शुल्क	34.41	35.00	36.00	37.00	
9.08.	अन्य कर और शुल्क	126.15	9.01	...	...	
9.09.	केंद्र शासित माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	1635.10	2530.00	2530.00	2821.00	
<i>जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर</i>		4720.68	5241.56	5342.00	5943.00	
<b>10. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी</b>						
10.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	-576.68	-750.00	-515.00	-545.00	
10.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	-2938.44	-1750.00	-1800.00	-1935.00	
<i>निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी</i>		-3515.12	-2500.00	-2315.00	-2480.00	
<b>11. घटाइए-राज्यों का हिस्सा</b>						
11.	घटाइए-राज्यों का हिस्सा	0710	-673005.29	-768412.57	-736879.65	-844605.48
<b>12. घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन</b>						
<b>जोड़-कर राजस्व</b>		<b>1242488.30</b>	<b>1480649.04</b>	<b>1484406.05</b>	<b>1705045.52</b>	
<b>कुल जोड़</b>		<b>1242488.30</b>	<b>1480649.04</b>	<b>1484406.05</b>	<b>1705045.52</b>	

उपर्युक्त विवरण में मोटे तौर पर 2019-20 के लिए कर प्राप्ति के अनुमानों का सार है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त खण्डों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे के साथ-साथ बजट और संशोधित अनुमान, 2018-19 के बीच अन्तर तथा 2019-20 के बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, जिसे 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में

उल्लिखित शुल्कों और करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य से लगाए गए किसी उपकर को छोड़कर, संघीय सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएंगे और केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार संवितरित किए जाएंगे जैसाकि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015-2020 तक की अवधि के लिए, केन्द्र और राज्यों के बीच संवितरण का तरीका चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनाया गया है।

**1. निगम कर :** यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2018-2019 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 6,71,0000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 6,21,000.00 करोड़ रुपए है। 2019-20 का बजट अनुमान 7,60,000.00 करोड़ रुपए है।

**2. आय पर कर :** यह कर, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2018-2019 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 529000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 529000.00 करोड़ रुपए है। 2019-20 के लिए बजट अनुमान 620000.00 करोड़ रुपए है।

शिक्षा उपकर जिसमें 3% की दर से प्राथमिक शिक्षा उपकर और माध्यमिक शिक्षा उपकर शामिल है, किन्तु वर्ष 2018-19 से हटा दिया गया है और वित्त वर्ष 2018-19 से आयकर के 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लिया जा रहा है।

**3. धन कर :** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। वर्ष 2017-18 के लिए धन कर का वास्तविक संकलन 63.43 करोड़ रुपये था। वर्ष 2016-17 से यह कर हटा दिया गया है।

**4. सीमाशुल्क :** वर्ष 2018-19 के लिए सीमाशुल्क का संशोधित अनुमान 1,30,038 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 1,12,500 करोड़ रुपए था। वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान 1,45,388 करोड़ रुपए है।

**4.01.01. बुनियादी शुल्क :** सीमाशुल्क का बुनियादी शुल्क, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर उदग्रहणीय है।

**4.01.02. सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीबीडी) :** सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। 1 जुलाई 2017 से यह शुल्क (कुछ उन पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो वस्तु और सेवा कर के दायरे में नहीं आते) वस्तु और सेवा कर में शामिल कर दिया गया है।

**4.01.03. विशेष सी.वी. शुल्क :** सभी आयातित माल पर बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर या अन्यथा को प्रतिसंतुलित करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुछ अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उदग्रहणीय है। 1 जुलाई 2017 से यह शुल्क (कुछ उन पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो वस्तु और सेवा कर के दायरे में नहीं आते) वस्तु और सेवा कर में शामिल कर दिया गया है।

**4.01.04. मोटर स्प्रीट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्प्रीट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उदग्रहणीय होता है। इस शुल्क को सड़क उपकर और अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

**4.01.05. हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क :** हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उदग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

**4.01.06. मोटर स्प्रीट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क :** मोटर स्प्रीट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उदग्रहणीय होता है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

**4.01.07. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क वित्त अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कुछ विशेष तंबाकू उत्पादों पर और वित्तीय अधिनियम, 2003 के अंतर्गत कच्चे पेट्रोलियम पर उदग्रहणीय है। 1 जुलाई 2017 से अन्य वस्तुओं पर यह कर वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया है।

**4.01.08. शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उदग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीबीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आवद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।

**4.01.09. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उदग्रहणीय है।

**4.02. निर्यात शुल्क :** कुछ विनिर्दिष्ट मर्दों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।

**बकाया संग्रहण :** वर्ष 2017-18 में सीमा शुल्क का वास्तविक बकाया संग्रहण 10.85 करोड़ रुपए था। सीमा शुल्क के बकाया संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 क्रमशः 4315 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए है।

**5. संघीय उत्पाद शुल्क :** वर्ष 2018-19 के लिए संघीय उत्पाद शुल्क का संशोधित अनुमान 2,59,612.20 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 2,59,600 करोड़ रुपए था। वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान 2,59,600 करोड़ रुपए है।

**5.01. बुनियादी उत्पाद शुल्क :** केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। औसत सेनवैट दर को 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा 17.03.2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को 01.03.2015 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित किया गया है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मानक सेनवैट दर को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर 12.5 पर तर्कसंगत किया गया था।

**5.02. मोटर स्पिंट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** मोटर स्पिंट पर अतिरिक्त उत्पाद का शुल्क, वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे सड़क और संरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

**5.03. हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इसे सड़क और संरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

**5.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क :** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त अधिनियम, 2001 के तहत लगाया जाता था। और वित्त विधेयक, 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। 1 जुलाई 2017 से अन्य वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) वस्तु और सेवा कर में शामिल कर दिया गया है।

**5.05. मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :** मोटर स्पिंट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।

**5.06. पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार :** सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीड़ी पर यह अधिभार नहीं लगाया जाता है।

**5.07.08. स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्ववर्ती स्वच्छ ऊर्जा उपकर) :** इसे वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के तहत भारत में निर्मित कच्चा कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया था। यह उपकर 1.7.2010 से प्रवृत्त हुआ है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहीत किया जाता है।

**बकाया संग्रहण :** 2017-18 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकाया वास्तविक संग्रहण 1866 करोड़ रुपए रहा। इसके संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 में क्रमशः 2338 करोड़ रुपए और 3000 करोड़ रुपए है।

**6. सेवा कर:** शून्य बजट अनुमान के स्थान पर अवशिष्ट अभी बकाया भुगतानों के कारण वर्ष 2018-19 के लिए सेवा कर का संशोधित अनुमान 9,283 करोड़ रुपए है। 1 जुलाई 2017 से पूरा सेवाकर वस्तु और सेवा कर में शामिल कर दिया गया है।

**बकाया संग्रहण :** वर्ष 2017-18 में बकाया सेवाकर का वास्तविक संग्रहण 2265 करोड़ रुपए था। बकाया सेवा कर के संग्रहण के लिए 2018-19 और 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान क्रमशः 3347 करोड़ रुपए और 3000 करोड़ रुपए है।

**8. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) :** वस्तु और सेवा कर 01 जुलाई 2017 को प्रवृत्त हुआ है। जीएसटी, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर लगने वाला कर है जिसमें मानव प्रयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली शराब शामिल नहीं है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी का संशोधित अनुमान क्रमशः 5,03,900.00 करोड़ रुपए और 50,000 करोड़ रुपए है जबकि उनका बजट अनुमान क्रमशः 6,03,900.00 करोड़ रुपए और 50,000.00 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2019-20 के सीजीएसटी और आईजीएसटी का बजट अनुमान क्रमशः 6,10,000 करोड़ रुपए और 50,000.00 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्व, क्रेडिट के पारस्परिक उपयोग के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच विनियोग और निधियों के निर्धारण के अध्वधीन है।

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	(₹ करोड़) बजट 2019-2020
<b>ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ</b>						
<b>1. ब्याज प्राप्तियां</b>						
1.01.	राज्य	0049	7315.87	6100.06	5288.44	5494.94
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	41.84	367.40	365.40	365.40
1.03.	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	38366.94	25049.59	20910.62	20350.89
1.03.01.	घटाइए व्यय के प्रति घटाई गई प्राप्तियां	0049	-32150.57	-16355.00	-14517.14	-13300.00
<i>निवल-ब्याज प्राप्तियां</i>			<i>13574.08</i>	<i>15162.05</i>	<i>12047.32</i>	<i>12911.23</i>
<b>2. लाभांश और लाभ</b>						
2.01.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	46498.67	52494.71	45124.18	53159.88
2.02.	भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश, अधिशेष लाभ	0050	44861.80	54817.25	74140.37	82911.56
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>			<i>91360.47</i>	<i>107311.96</i>	<i>119264.55</i>	<i>136071.44</i>
<b>जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ</b>			<b>104934.55</b>	<b>122474.01</b>	<b>131311.87</b>	<b>148982.67</b>
<b>राजकोषीय सेवाएं</b>						
<b>3. राजकोषीय सेवाएं</b>						
3.01.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ	0046	282.00	600.00	300.00	300.00
3.02.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	178.13	121.20	120.50	125.50
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>			<i>460.13</i>	<i>721.20</i>	<i>420.50</i>	<i>425.50</i>
<b>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</b>			<b>460.13</b>	<b>721.20</b>	<b>420.50</b>	<b>425.50</b>
<b>सामान्य सेवाएं</b>						
<b>4. सामान्य सेवाएं</b>						
4.01.	प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01.	लोक सेवा आयोग	0051	84.03	136.50	96.50	103.50
4.01.02.	पुलिस	0055	7495.64	7611.60	7761.00	10366.10
4.01.03.	पूर्ति और निपटान	0057	54.57	...	0.05	0.05
4.01.04.	लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	38.97	38.80	35.25	29.54
4.01.05.	लोक निर्माण कार्य	0059	333.85	76.65	273.03	373.03
4.01.06.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	6203.79	7432.31	6377.79	7557.68
<i>जोड़-प्रशासनिक सेवाएं</i>			<i>14210.85</i>	<i>15295.86</i>	<i>14543.62</i>	<i>18429.90</i>
4.02.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01.	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1760.70	2824.53	2709.12	2712.93
4.02.02.	घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>			<i>1760.70</i>	<i>1824.53</i>	<i>1709.12</i>	<i>1712.93</i>
4.03.	विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01.	विविध सामान्य सेवाएं	0075	19355.64	19211.20	18375.71	19981.51
4.03.02.	घटाइए वाणिज्यिक विभाग कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-17761.78	-17625.00	-16775.00	-18450.00
<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>			<i>1593.86</i>	<i>1586.20</i>	<i>1600.71</i>	<i>1531.51</i>
4.04.	रक्षा सेवाएं					
4.04.01.	रक्षा सेवाएं सेना	0076	2949.67	2871.09	2927.09	2879.76
4.04.01.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0076	-2949.67	-2871.09	-2927.09	-2879.76
<i>निवल</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.02.	रक्षा सेवाएं नौसेना	0077	629.82	650.00	750.00	500.00
4.04.02.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0077	-629.82	-650.00	-750.00	-500.00
<i>निवल</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

		(₹ करोड़)				
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
4.04.03.	रक्षा सेवाएं वायु सेना	0078	1025.60	1300.00	1277.66	1000.00
4.04.03.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0078	-1025.60	-1300.00	-1277.66	-1000.00
	<i>निवल</i>		...	...	...	...
4.04.04.	रक्षा सेवाएं आयुध कारखाने	0079	1852.02	1579.70	2194.44	2581.19
4.04.04.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0079	-1852.02	-1579.70	-2194.44	-2581.19
	<i>निवल</i>		...	...	...	...
4.04.05.	रक्षा सेवाएं अनुसंधान और विकास	0080	279.24	150.00	550.00	400.00
4.04.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0080	-279.24	-150.00	-550.00	-400.00
	<i>निवल</i>		...	...	...	...
	<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>		...	...	...	...
	<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>		17565.41	18706.59	17853.45	21674.34
	<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>		<b>17565.41</b>	<b>18706.59</b>	<b>17853.45</b>	<b>21674.34</b>
	<b>सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं</b>					
<b>5.</b>	<b>सामाजिक सेवाएं</b>					
5.01.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	273.49	238.82	280.58	285.58
5.02.	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	540.23	597.78	606.21	606.65
5.03.	परिवार कल्याण	0211	14.43	20.10	15.08	15.08
5.04.	आवास	0216	379.28	341.38	283.60	279.59
5.05.	शहरी विकास	0217	...	0.01	0.01	0.01
5.06.	सूचना और प्रचार प्रसार	0220	70.79	44.04	50.12	59.35
5.07.	प्रसारण	0221	1548.29	1997.06	1420.86	2766.67
5.08.	श्रम और रोजगार	0230	34.89	25.59	33.55	34.08
5.09.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	0.67	5610.57	0.86	0.36
5.10.	अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	146.06	...	100.00	...
5.10.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0250	-64.43	...	-100.00	...
	<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>		2943.70	8875.35	2690.87	4047.37
	<b>जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं</b>		<b>2943.70</b>	<b>8875.35</b>	<b>2690.87</b>	<b>4047.37</b>
	<b>आर्थिक सेवाएं</b>					
<b>6.</b>	<b>आर्थिक सेवाएं</b>					
6.01.	कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01.	फसल कार्य	0401	576.80	424.05	590.55	614.55
6.01.02.	पशु पालन	0403	20.59	19.25	19.60	20.97
6.01.03.	डेयरी विकास	0404	435.50	480.35	390.54	410.80
6.01.03.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग दिल्ली दुग्ध स्कीम की प्राप्तियां	0404	-435.35	-480.00	-390.27	-410.40
	<i>निवल</i>		0.15	0.35	0.27	0.40
6.01.04.	मात्स्यिकी	0405	3.94	4.40	3.95	4.00
6.01.05.	वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	204.43	33.00	33.00	38.00
6.01.05.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0406	-192.66	-8.00	-8.00	-8.00
	<i>निवल</i>		11.77	25.00	25.00	30.00
6.01.06.	खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	1171.00	12.02	102.53	6.91
6.01.06.01.	घटाइए - प्राप्तियां	0408	...	...	-95.62	...
	<i>निवल</i>		1171.00	12.02	6.91	6.91
6.01.07.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	...	0.01	0.02	0.02
6.01.08.	अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	21.75	20.50	23.00	23.55
	<i>निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप</i>		1806.00	505.58	669.30	700.40
6.02.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01.	वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	34.44	40.00	40.00	42.00
6.02.02.	वृहत सिंचाई	0702	1.77	1.20	1.60	1.80

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020 (₹ करोड़)
जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण			36.21	41.20	41.60	43.80
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	1975.99	5893.78	3347.77	3681.09
6.03.01.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां – ईंधन सूची	0801	-1152.70	-2158.83	-1859.02	-2373.06
निवल			823.29	3734.95	1488.75	1308.03
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	10878.80	9877.24	16044.55	16930.27
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	4.45	...	3197.85	3197.85
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	48.23	0.06	0.12	0.12
निवल-ऊर्जा			11754.77	13612.25	20731.27	21436.27
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	45.33	37.26	30.26	23.18
6.04.02.	उद्योग	0852	1861.48	2615.45	3025.77	2557.87
6.04.02.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग – ईंधन निर्माण सुविधाओं की प्राप्तियां	0852	-1205.93	-2417.80	-1735.36	-2286.29
6.04.02.02.	घटाइए – इस क्षेत्र की अन्य प्राप्तियां	0852	-255.00	...	-983.18	...
निवल			400.55	197.65	307.23	271.58
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	1215.93	24.59	298.93	377.29
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	182.65	150.00	150.00	150.00
6.04.04.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग – अफीम और क्षरोद फैक्टरी की प्राप्तियां	0875	-182.65	-150.00	-150.00	-150.00
निवल			...	...	...	...
निवल-उद्योग और खनिज			1661.81	259.50	636.42	672.05
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	325.86	325.43	325.43	320.00
6.05.01.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग दीप स्तंभ और लाइटशिप की प्राप्तियां	1051	-319.05	-320.00	-320.00	-320.00
निवल			6.81	5.43	5.43	...
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	114.62	122.82	122.82	121.29
6.05.03.	नागर विमानन	1053	67.52	105.00	105.00	115.51
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	9064.07	10291.00	19542.60	20339.64
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	19.31	...	...	...
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	12832.76	16956.11	18000.44	19203.29
6.05.06.01.	घटाइए – वाणिज्यिक विभाग – डाक की प्राप्तियां	1201	-12832.76	-16956.11	-18000.44	-19203.29
निवल			...	...	...	...
निवल-परिवहन			9272.33	10524.25	19775.85	20576.44
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	32065.90	48661.42	39245.00	41519.76
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	84.09	91.69	116.78	99.06
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1027.28	1099.08	1187.09	1431.42
जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण			1111.37	1190.77	1303.87	1530.48
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	230.13	157.58	252.90	252.90
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	3420.96	14619.91	6987.37	7619.94
6.08.03.	पर्यटन	1452	9.22	10.00	10.00	10.00
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.04	0.04	0.12	0.15
जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं			3660.35	14787.53	7250.39	7882.99
निवल-आर्थिक सेवाएं			61368.74	89582.50	89653.70	94362.19

			(₹ करोड़)			
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
<b>7. रेल राजस्व</b>						
7.01. भारतीय रेलवे विविध प्राप्तियां	1001	204.33	250.00	500.00	260.00	
7.01.01. घटाइए विविध प्राप्तियां	1001	-204.33	-250.00	-500.00	-260.00	
7.02. भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनें	1002	176718.83	198702.42	194774.00	214590.13	
7.02.01. घटाइए प्राप्तियां	1002	-176718.83	-198702.42	-194774.00	-214590.13	
7.03. भारतीय रेलवे सामरिक लाइनें	1003	2006.48	2137.58	1940.00	2084.87	
7.03.01. घटाइए प्राप्तियां	1003	-2006.48	-2137.58	-1940.00	-2084.87	
निवल- रेल राजस्व		...	...	...	...	
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>		<b>61368.74</b>	<b>89582.50</b>	<b>89653.70</b>	<b>94362.19</b>	
<b>सहायता-अनुदान तथा अंशदान</b>						
<b>8. सहायता अनुदान और अंशदान</b>						
8.01. विदेशी अनुदान सहायता						
8.01.01. बहुपक्षीय						
8.01.01.01. एशियाई विकास बैंक	1605	5.99	16.00	12.00	14.00	
8.01.01.02. कृषि हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि	1605	0.12	3.00	1.00	1.00	
8.01.01.03. अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	86.31	93.00	77.00	82.00	
8.01.01.04. यूरोपीय यूनियन	1605	189.33	...	...	...	
जोड़-बहुपक्षीय		281.75	112.00	90.00	97.00	
8.01.02. द्विपक्षीय						
8.01.02.01. जर्मनी	1605	21.18	22.00	11.00	10.00	
8.01.02.02. जापान	1605	...	42.00	33.00	33.00	
जोड़-द्विपक्षीय		21.18	64.00	44.00	43.00	
8.01.03. अंतरराष्ट्रीय निकाय						
8.01.03.01. वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	1096.85	1200.00	830.00	500.00	
8.01.03.02. यूएनडीपी	1605	36.78	11.00	5.00	10.00	
जोड़-अंतरराष्ट्रीय निकाय		1133.63	1211.00	835.00	510.00	
जोड़-विदेश अनुदान सहायता		1436.56	1387.00	969.00	650.00	
8.02. सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	2145.64	1280.00	301.00	356.00	
जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान		3582.20	2667.00	1270.00	1006.00	
<b>जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान</b>		<b>3582.20</b>	<b>2667.00</b>	<b>1270.00</b>	<b>1006.00</b>	
<b>संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व</b>						
<b>9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व</b>	1710	1889.62	2062.10	2076.00	2149.00	
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व		1889.62	2062.10	2076.00	2149.00	
<b>कुल जोड़</b>		<b>192744.35</b>	<b>245088.75</b>	<b>245276.39</b>	<b>272647.07</b>	

उपर्युक्त विवरण में 2019-20 की कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों का सार दिया गया है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं, जैसे परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ के रूप में लाभांश और लाभ, ब्याज, शुल्क, शास्ति विनियामक प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क और मुहैया कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहित ब्याज, शुल्क, दंड और विविध प्राप्तियां।

**1.1. राज्य :** राज्यों को जारी ऋण पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर ब्याज शामिल है -

- (क) गैर योजना स्कीम के अंतर्गत (बाढ़ नियंत्रण) पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों को विभिन्न समय पर वितरित ऋण
- (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को ब्याज की विभिन्न दरों, अब ब्याज की दरें एक समान कर दी गई हैं, पर वितरित ऋण
- (ग) 20 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ राज्य योजना स्कीमों की सहायता के लिए वितरित ऋण
- (घ) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वितरित ऋण। इसमें बड़े ऋण अन्य देशों से आए लोगों का पुनर्स्थापन और संसाधनों में अंतर को कम करने के लिए ऋण इत्यादि शामिल है।

- 1.2. संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) :** संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल वाले) को ऋण पर ब्याज ।
- 1.3. अन्य ब्याज प्राप्तियां:** "अन्य ब्याज प्राप्तियों" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज के सम्बन्ध में और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय हैं।
- 2. लाभांश और लाभ:** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।
- 3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं:** ये प्राप्तियां मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.01. लोक सेवा आयोग :** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्तियां मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्क आदि को प्रदर्शित करती हैं।
- 4.01.02. पुलिस :** "पुलिस" की प्राप्तियां राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षकारों को सप्लाई किए गए केन्द्रीय पुलिस बल के कारण हैं। इन प्राप्तियों में दिल्ली पुलिस की प्राप्तियां भी शामिल हैं।
- 4.01.03. पूर्ति तथा निपटान :** "पूर्ति तथा निपटान" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः भण्डारों की खरीद तथा निरीक्षण हेतु शुल्कों, और अधिशेष और बेकार पड़े भण्डारों के पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के जरिए निपटान की बिक्री आय से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.04. स्टेशनरी तथा मुद्रण :** "स्टेशनरी तथा मुद्रण" के अन्तर्गत प्राप्तियां सरकारी मुद्रणालयों की स्टेशनरी, राजपत्र तथा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री आदि से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं :** "अन्य प्रशासनिक सेवाओं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्क, पासपोर्ट एवं बीजा शुल्क आदि से सम्बद्ध हैं।
- 4.03.02. घटाइए वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां कैंटीन स्टोर्स विभाग:** वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।
- 5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।
- 5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्तियों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औषधालयों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्तियों में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्तियां आदि शामिल हैं।
- 5.03. परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्तियों से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. आवासन :** "आवासन" प्राप्तियां मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. सूचना और प्रचार :** "सूचना तथा प्रचार" प्राप्तियों में रोजगार समाचार एवं अन्य प्रकाशनों, फिल्म प्रभाग और ब्यूरो आफ आउटरीच एवं कम्युनिकेशन से प्राप्तियां शामिल हैं।
- 5.07. प्रसारण :** डीटीएच आपरेटरों, वाणिज्यिक सेवाओं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाएं (एफएम) से प्राप्तियां तथा अन्य प्राप्तियां।
- 5.08. श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्तियां मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।
- 5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्तियां मुख्यतया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित हैं।
- 6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्तियां आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।

**6.03. ऊर्जा:** इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

**6.03.01. विद्युत :** विद्युत शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियों का रिकार्ड रखा जाता है।

**6.03.02. पेट्रोलियम :** पेट्रोलियम शीर्ष के अंतर्गत अनुमानों में आफशोर कच्चा तेल और गैस उत्पादन पर रायल्टी से प्राप्तियां और किसी क्षेत्र विशेष में तेल एवं गैस के निकासी के विशिष्ट अधिकार से लाइसेंस शुल्क प्राप्तियां शामिल हैं।

(क) कच्चे तेल पर रायल्टी आयलफिल्ड (विनियमन और विकास) अधिनियम 1948 की धारा 6क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 समय-समय पर संशोधन द्वारा विनियमित की जाती है। रायल्टी पीएनजी नियमावली, 1959 की धारा 14 के अंतर्गत रायल्टी राज्य सरकार को भू-तटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लॉकों के लिए और केंद्र सरकार को अपतटीय तेल और प्राकृतिक गैस ब्लॉकों के लिए देय है। इन सांविधियों और संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसार कच्चे तेल सहित किसी भी खनिज तेल के संबंध में रायल्टी की दर आयल फिल्ड अथवा वेल हेड पर खनिज तेल के विक्री मूल्य का 20% से अधिक नहीं होगी।

(ख) **लाभ पेट्रोलियम :** लाभ पेट्रोलियम का तात्पर्य संविदागत क्षेत्र से उत्पादित कच्चा तेल, कन्डनसेट और प्राकृतिक गैस के मूल्य में से लागत पेट्रोलियम घटाने पर मिलता है और इसका निर्धारण तत्संबंधी पीएससी के उपबंधों के अनुसार होता है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को नामित ब्लॉकों पर कोई लाभ पेट्रोलियम देय नहीं है।

(ग) **पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क :** (i) पीईएल शुल्क का भुगतान लाइसेंस धारक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र में तेल तथा गैस की विशिष्ट खोज करने का अधिकार देने वाली सरकार से विचार करके किया जाने वाला भुगतान है। लाइसेंस शुल्क आमतौर पर लाइसेंस के क्षेत्र तथा अवधि से संबंधित होता है तथा इसका भुगतान लाइसेंस धारक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित पीएंडएनजी नियम, 1959 के अनुसार, अग्रिम रूप से वार्षिक आधार पर किया जाता है। (ii) आफशोर फील्डों के मामले में, पीईएल शुल्क केंद्र सरकार के पास जाता है जबकि आनशोर फील्डों के मामले में यह संबंधित राज्य सरकार को जाता है।

(घ) **उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) :** पीएलपी वह भुगतान है जो कोल बेड मीथेन ब्लॉकों में संबंधित संविदा/करार के अनुसार कतिपय उत्पादन स्तर हासिल करने के बाद भारत सरकार को करना होता है।

**6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग:** ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु, हकथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

**6.04.02. उद्योग :** उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

**6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग :** गैर अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियों को समायोजित किया जाता है।

**6.05.02. पोत परिवहन :** पोत परिवहन शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों को गणना में लिया जाता है।

**6.05.04. सड़क और पुल :** सड़क और पुल शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से वसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

**6.06.01. अन्य संचार सेवाएं:** 'अन्य संचार सेवाएं' के अंतर्गत प्राप्तियां मुख्य रूप से टेलीकॉम आपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों के कारण प्राप्तियां संबंधित है। टेलीकॉम विभाग, इसके द्वारा दिए गए लाइसेंस के लिए विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से आवर्ती लाइसेंस शुल्क का संग्रहण करता है। लाइसेंस शुल्क, पात्र/हकदार सेवा प्रदाताओं पर पब्लिक स्विचड टेलीकॉम नेटवर्क प्रभारों, रोमिंग प्रभार जैसे अनुमेय कटौती और कंपनी के लेखापरीक्षित लेखाओं में परिलक्षित इसके कुल राजस्व आंकड़ों से राज्य/केंद्रीय सरकार पर विक्रीकर/सेवाकर के बाद समायोजित सकल राजस्व के 8 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता है।

लाइसेंसशुदा टेलीकॉम नेटवर्कों के लिए कैप्टिव उपयोग और कैप्टिव मोबाइल रेडियो टंकिंग सेवा लाइसेंस के लिए नियत दरों पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है। यह टर्मिनलों की संख्या और/या नेटवर्कों की पूंजीगत लागत पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, नए ऑपरेटरों से एकवारगी प्रविष्टि शुल्क का भी संग्रहण किया जाता है।

सेवाओं के मुख्य श्रेणी में शामिल है : (i) बुनियादी सेवा, (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस), (iii) यूनीफाइड एक्सेस सर्विस (iv) यूनीफाइड लाइसेंस (v) इंटरनेशनल लॉग डिस्टेंस (vi) नेशनल लॉग डिस्टेंस, (vii) इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, (x) कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनः विक्री।

लाइसेंस शुल्क का संग्रहण टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से समायोजित कर राजस्व के प्रतिशतता शेयर के आधार पर किया जाता है, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी का घटक शामिल होता है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण लाइसेंस शुल्क, देश में टेलीकॉम सेवा क्षेत्र के प्रशुल्क और विकास की दर पर निर्भर करता है।

यह विभाग, विभिन्न संस्थाओं के बेतार उपकरण रखने और रेडियो स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए भी लाइसेंस शुल्क का संग्रहण करता है। सेवा प्रदाताओं से लिए गए प्रभार को सामान्यतः स्पेक्ट्रम प्रभार कहा जाता है और उनकी परिकलन या तो उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में किया जाता है जो उनके नेटवर्क (वाणिज्यिक वीएसटी लाइसेंस) के लिए दिए गए स्पेक्ट्रम की मात्रा या समान दरों पर या सूत्र के आधार पर निर्भर करता है।

विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम उपयोग के लिए प्रभार टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (मोबाइल वाणिज्यिक वीएसटी आदि) से स्पेक्ट्रम के उपयोग हेतु लगाया जाता है और इनका परिकलन उनके नेटवर्क के लिए दी गई मात्रा के अनुसार उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशत के रूप में किया जाता है।

**6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान:** "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बन्धित हैं।

**6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान:** अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन से सम्बन्धित है।

**6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं:** "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

**6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:** "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल है। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

**7. रेल राजस्व:** प्राप्तियों में मुख्यतः (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

**8. सहायता अनुदान और अंशदान:** ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का व्यौरा अनुबंध 8 में दिया गया है।

**9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व:** (विधान मण्डलों रहित) संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन से प्राप्त प्राप्तियां, पर्यटन तथा विद्युत आदि शामिल हैं।

कर-भिन्न राजस्व का बकाया : राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्वों के बकाया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विवरण अनुबंध 11 में देखा जा सकता है।

## पूँजीगत प्राप्तियाँ

(₹ करोड़)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
<b>ऋण भिन्न प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ</b>					
1.01.	राज्य सरकारें				
1.01.01.	सकल प्राप्तियाँ	7601	13057.30	9166.74	9294.81
1.01.02.	वसूलियाँ	7601	...	-100.00	-100.00
	<i>निवल-राज्य सरकारें</i>		<i>13057.30</i>	<i>9066.74</i>	<i>8802.93</i>
1.02.	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	7602	66.81	432.69	442.69
1.03.	विदेशी सरकारें	7605	353.73	325.29	348.34
1.04.	अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)				
1.04.01.	सकल प्राप्तियाँ	9001	57161.32	53649.36	55061.20
1.04.02.	वसूलियाँ	9001	-55005.88	-51275.00	-51500.00
	<i>निवल-अन्य ऋण तथा अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)</i>		<i>2155.44</i>	<i>2374.36</i>	<i>3561.20</i>
	<i>निवल-ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ</i>		<i>15633.28</i>	<i>12199.08</i>	<i>13155.16</i>
<b>2. विविध पूँजी प्राप्तियाँ</b>					
2.01.	विनिवेश प्राप्तियाँ	4000	...	...	...
2.02.	कार्यनीतिक विनिवेश	4000	100045.05	80000.00	80000.00
2.03.	अन्य (बीमा कंपनियों का सूचीयन)	4000	...	...	...
2.04.	बोनस शेयर निर्गम	4000	3.40	...	252.18
2.05.	बोनस शेयर घटाकर प्राप्तियाँ	4000	-3.40	...	-252.18
	<i>निवल-विविध पूँजी प्राप्तियाँ</i>		<i>100045.05</i>	<i>80000.00</i>	<i>80000.00</i>
<b>जोड़-ऋण- भिन्न प्राप्तियाँ</b>					
		<b>115678.33</b>	<b>92199.08</b>	<b>93155.16</b>	<b>102507.72</b>
<b>ऋण प्राप्तियाँ</b>					
<b>3. उधार</b>					
3.01.	बाजार ऋण				
3.01.01.	सकल उधार	6001	588000.00	605539.36	571000.00
3.01.02.	वापसी अदायगी	6001	-137271.69	-143477.87	-148263.08
	<i>निवल-बाजार ऋण</i>		<i>450728.31</i>	<i>462061.49</i>	<i>422736.92</i>
3.02.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम				
3.02.01.	प्रतिभूतियों का निर्गम	6001	80000.00	65000.00	106000.00
3.02.02.	वापसी अदायगी	6001	...	...	...
3.02.03.	घटाइए प्राप्तियाँ	6001	-80000.00	-65000.00	-106000.00
	<i>निवल-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.03.	एग्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम				
3.03.01.	प्रतिभूतियाँ जारी करना	6001	...	...	4500.00
3.03.02.	वापसी अदायगी	6001	...	...	...
3.03.03.	घटाइए निवल प्राप्तियाँ	6001	...	...	-4500.00
	<i>निवल-एग्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूतियों का निर्गम</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.04.	प्रतिभूतियों का अंतरण				
3.04.01.	सकल उधार	6001	59158.98	28059.00	28059.00
3.04.02.	वापसी अदायगी	6001	-58075.00	-28059.00	-28059.00
	<i>निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण</i>		<i>1083.98</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.05.	वापसी खरीद				
3.05.01.	सकल उधार	6001	...	...	...
3.05.02.	वापसी अदायगी	6001	-41555.07	-71941.00	...
	<i>निवल-वापसी खरीद</i>		<i>-41555.07</i>	<i>-71941.00</i>	<i>...</i>
3.06.	अल्पकालिक उधार				
3.06.01.	14 दिवसीय राजकोपीय हंडियाँ				

(₹ करोड़)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
3.06.01.01.	सकल उधार	6001	3790637.92	4027581.00	3771818.30	3960409.22
3.06.01.02.	वापसी अदायगी	6001	-3796169.17	-4027581.00	-3771818.30	-3960409.22
	<i>निवल</i>		<i>-5531.25</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.06.02.	91 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.06.02.01.	सकल उधार	6001	774059.95	857721.45	663316.47	545344.72
3.06.02.02.	वापसी अदायगी	6001	-742174.08	-857721.45	-706707.70	-524343.22
	<i>निवल</i>		<i>31885.87</i>	<i>...</i>	<i>-43391.23</i>	<i>21001.50</i>
3.06.03.	182 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.06.03.01.	सकल उधार	6001	185416.61	169705.32	258769.34	312168.86
3.06.03.02.	वापसी अदायगी	6001	-183981.05	-161705.32	-225089.11	-310119.02
	<i>निवल</i>		<i>1435.56</i>	<i>8000.00</i>	<i>33680.23</i>	<i>2049.84</i>
3.06.04.	364 दिवसीय राजकोषीय हंडियां					
3.06.04.01.	सकल उधार	6001	159685.00	158993.00	194396.00	192344.66
3.06.04.02.	वापसी अदायगी	6001	-142525.75	-149993.00	-159685.00	-190396.00
	<i>निवल</i>		<i>17159.25</i>	<i>9000.00</i>	<i>34711.00</i>	<i>1948.66</i>
3.06.05.	नकद प्रबंधन बिल					
3.06.05.01.	सकल उधार	6001	150000.00	100000.00	200000.00	100000.00
3.06.05.02.	वापसी अदायगी	6001	-150000.00	-100000.00	-200000.00	-100000.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.06.06.	अर्थोपाय अग्रिम					
3.06.06.01.	सकल उधार	6001	480042.00	500000.00	900000.00	500000.00
3.06.06.02.	वापसी अदायगी	6001	-480042.00	-500000.00	-900000.00	-500000.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-अल्पकालिक उधार</i>		<i>44949.43</i>	<i>17000.00</i>	<i>25000.00</i>	<i>25000.00</i>
	<i>निवल-उधार</i>		<i>455206.65</i>	<i>407120.49</i>	<i>447736.92</i>	<i>448122.01</i>
<b>4.</b>	<b>लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां</b>					
4.01.	प्राप्तियां	6001	108661.00	88533.00	138533.00	152268.32
4.02.	वापसी अदायगी	6001	-6033.05	-13533.00	-13533.00	-22268.32
	<i>निवल-लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां</i>		<i>102627.95</i>	<i>75000.00</i>	<i>125000.00</i>	<i>130000.00</i>
<b>5.</b>	<b>राज्य भविष्य निधियां</b>					
5.01.	प्राप्तियां	8009	61483.20	65000.00	72000.00	77000.00
5.02.	संवितरण	8009	-45684.53	-48000.00	-55000.00	-59000.00
	<i>निवल-राज्य भविष्य निधियां</i>		<i>15798.67</i>	<i>17000.00</i>	<i>17000.00</i>	<i>18000.00</i>
<b>6.</b>	<b>अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)</b>					
6.01.	राहत बांड					
6.01.01.	प्राप्तियां	6001	...	...	...	...
6.01.02.	संवितरण	6001	-2.50	-54.88	-68.01	-14.37
	<i>निवल-राहत बांड</i>		<i>-2.50</i>	<i>-54.88</i>	<i>-68.01</i>	<i>-14.37</i>
6.02.	बचत बांड					
6.02.01.	प्राप्तियां	6001	24830.87	20177.17	21220.11	27273.95
6.02.02.	संवितरण	6001	-622.35	-811.09	-1854.03	-1823.18
	<i>निवल-बचत बांड</i>		<i>24208.52</i>	<i>19366.08</i>	<i>19366.08</i>	<i>25450.77</i>
6.03.	अन्य (स्वर्ण बाण्ड, स्वर्ण मौद्रिकरण आदि)					
6.03.01.	प्राप्तियां	6001	1894.82	5000.00	5000.00	5000.00
6.03.02.	संवितरण	6001	...	...	...	...
	<i>निवल-अन्य (स्वर्ण बाण्ड, स्वर्ण मौद्रिकरण आदि)</i>		<i>1894.82</i>	<i>5000.00</i>	<i>5000.00</i>	<i>5000.00</i>
6.04.	अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)					
6.04.01.	प्राप्तियां	9002	1366775.36	1377490.60	1421807.28	1564804.08
6.04.02.	संवितरण	9002	-1382555.73	-1316482.49	-1432602.39	-1534136.10
6.04.03.	घटाइए प्राप्तियां	9002	...	...	...	...
	<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक खाता)</i>		<i>-15780.37</i>	<i>61008.11</i>	<i>-10795.11</i>	<i>30667.98</i>

		(₹ करोड़)				
कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
6.05.	अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं					
6.05.01.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष					
6.05.01.01.	प्राप्तियां	6001	2554.50	0.01	9278.35	100.01
6.05.01.02.	वापसी अदायगी	6001	-7140.04	-100.00	-4587.80	-1000.00
6.05.01.03.	घटाइए निवल प्राप्तियां	6001	-543.18	-511.62	-9792.90	-583.78
	निवल		-5128.72	-611.61	-5102.35	-1483.77
6.05.02.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
6.05.02.01.	प्राप्तियां	6001	408.33	408.34	408.34	408.34
6.05.02.02.	वापसी अदायगी	6001	-156.87	-357.36	-389.88	-370.29
	निवल		251.46	50.98	18.46	38.05
6.05.03.	एशियाई विकास बैंक और निधि					
6.05.03.01.	प्राप्तियां	6001	64.50	66.03	68.97	72.01
6.05.03.02.	वापसी अदायगी	6001	-136.92	-152.82	-145.24	-172.92
	निवल		-72.42	-86.79	-76.27	-100.91
6.05.04.	अफ्रीकी विकास बैंक और निधि					
6.05.04.01.	प्राप्तियां	6001	70.35	37.24	37.24	3.42
6.05.04.02.	वापसी अदायगी	6001	-33.83	-30.58	-27.34	-29.56
	निवल		36.52	6.66	9.90	-26.14
	निवल-अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं		-4913.16	-640.76	-5150.26	-1572.77
	निवल-अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)		5407.31	84678.55	8352.70	59531.61
<b>7.</b>	<b>विदेशी ऋण</b>					
7.01.	बहुपक्षीय					
7.01.01.	अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक					
7.01.01.01.	प्राप्तियां	6002	6851.92	6601.85	7257.00	7831.00
7.01.01.02.	वापसी अदायगी	6002	-5444.53	-5887.77	-6474.77	-7351.49
	निवल		1407.39	714.08	782.23	479.51
7.01.02.	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ					
7.01.02.01.	प्राप्तियां	6002	8687.32	7406.69	6932.00	6756.00
7.01.02.02.	वापसी अदायगी	6002	-11110.36	-12083.79	-13077.69	-14479.46
	निवल		-2423.04	-4677.10	-6145.69	-7723.46
7.01.03.	अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि					
7.01.03.01.	प्राप्तियां	6002	276.66	471.90	332.00	373.00
7.01.03.02.	वापसी अदायगी	6002	-91.48	-95.83	-104.10	-134.60
	निवल		185.18	376.07	227.90	238.40
7.01.04.	एशियाई विकास बैंक					
7.01.04.01.	प्राप्तियां	6002	10320.12	9199.81	10055.00	10093.00
7.01.04.02.	वापसी अदायगी	6002	-3412.75	-4316.67	-4119.27	-4853.25
	निवल		6907.37	4883.14	5935.73	5239.75
7.01.05.	पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी)					
7.01.05.01.	प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.01.05.02.	वापसी अदायगी	6002	-8.21	-8.63	-9.21	-9.49
	निवल		-8.21	-8.63	-9.21	-9.49
7.01.06.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन					
7.01.06.01.	प्राप्तियां	6002	-0.01	...	...	...
7.01.06.02.	वापसी अदायगी	6002	-11.67	-12.04	-15.86	-15.98
	निवल		-11.68	-12.04	-15.86	-15.98
7.01.07.	न्यू डेवलपमेंट बैंक					
7.01.07.01.	प्राप्तियां	6002	137.21	200.00	1083.00	1089.00
7.01.07.02.	वापसी अदायगी	6002	...	...	...	...
	निवल		137.21	200.00	1083.00	1089.00

(₹ करोड़)

कर राजस्व	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
7.01.08. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)					
7.01.08.01. प्राप्तियां	6002	374.13	50.00	1108.00	653.00
7.01.08.02. वापसी अदायगी	6002	...	...	...	...
जोड़-एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)		374.13	50.00	1108.00	653.00
निवल-बहुपक्षीय		6568.35	1525.52	2966.10	-49.27
7.02. द्विपक्षीय					
7.02.01. जर्मनी					
7.02.01.01. प्राप्तियां	6002	1858.46	2317.01	1289.00	1022.00
7.02.01.02. वापसी अदायगी	6002	-928.64	-1154.79	-1202.80	-1419.06
निवल		929.82	1162.22	86.20	-397.06
7.02.02. फ्रांस					
7.02.02.01. प्राप्तियां	6002	1045.15	751.75	731.00	1519.00
7.02.02.02. वापसी अदायगी	6002	-173.75	-213.71	-232.46	-308.69
निवल		871.40	538.04	498.54	1210.31
7.02.04. जापान					
7.02.04.01. प्राप्तियां	6002	15818.91	10776.38	7954.00	10156.00
7.02.04.02. वापसी अदायगी	6002	-4612.58	-4766.47	-5153.59	-5800.89
निवल		11206.33	6009.91	2800.41	4355.11
7.02.05. स्विटजरलैंड					
7.02.05.01. प्राप्तियां	6002	...	...	...	...
7.02.05.02. वापसी अदायगी	6002	-0.33	-0.16	-0.16	...
निवल		-0.33	-0.16	-0.16	...
7.02.06. संयुक्त राज्य अमेरिका					
7.02.06.01. प्राप्तियां	6002	83.91	...	...	...
7.02.06.02. वापसी अदायगी	6002	-162.86	-167.21	-178.96	-176.40
निवल		-78.95	-167.21	-178.96	-176.40
7.02.07. रूसी परिसंघ					
7.02.07.01. प्राप्तियां	6002	2301.55	2807.00	2624.00	3915.00
7.02.07.02. वापसी अदायगी	6002	-728.11	-747.93	-771.13	-813.69
निवल		1573.44	2059.07	1852.87	3101.31
7.02.08. यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)					
7.02.08.01. प्राप्तियां	6002	761.41	300.00	844.00	1266.00
7.02.08.02. वापसी अदायगी	6002	...	...	...	...
निवल		761.41	300.00	844.00	1266.00
निवल-द्विपक्षीय		15263.12	9901.87	5902.90	9359.27
7.03. राज्यों की परियोजनाओं के लिए व्यय विदेशी सहायता के संदर्भ में घटाया गया	6002	-13900.73	-14016.00	-13762.12	-12262.05
निवल-विदेशी ऋण		7930.74	-2588.61	-4893.12	-2952.05
<b>8. नकद शेष का आहरण द्वारा कमी</b>					
8.01. प्राप्तियां	9003	5498.61	44877.61	1406.22	-39794.70
8.02. सवितरण	9003	-1406.22	-1811.61	39794.70	91092.37
निवल-नकद शेष का आहरण द्वारा कमी		4092.39	43066.00	41200.92	51297.67
<b>9. बाजार स्थिरीकरण योजना</b>					
9.01. प्राप्तियां	6001	100000.00	...	...	...
9.02. वापसी अदायगी	6001	-100000.00	...	...	...
निवल-बाजार स्थिरीकरण योजना		...	...	...	...
जोड़-ऋण प्राप्तियां		591063.71	624276.43	634397.42	703999.24
कुल जोड़		706742.04	716475.51	727552.58	806506.96

1. उपर्युक्त विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार-ऋण-भिन्न और ऋण प्राप्तियों दोनों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2018-19 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ ब्यौरा और सं.अ. 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 के बीच अंतर नीचे दी गई टिप्पणियों में दिया गया है।

**1.01 राज्य सरकारें:** राज्य सरकारों से प्राप्तियों का अनुमान सं.अ. 2018-19 में ₹8802.93 करोड़ तथा ब.अ. 2019-20 में ₹9194.81 करोड़ लगाया गया है। सं.अ. 2017-18 में प्राप्तियों में राज्य सरकारों की ऋण माफी शामिल है जिसे समतुल्य व्यय से प्रतिसंतुलित किया जाता है।

**1.02 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) :** ये वसूलियां संघ राज्य क्षेत्र, पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को दिए गए ऋणों के संबंध में हैं।

**1.03 और 1.04 अन्य द्वारा वापसी अदायगी:** इनमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को छोड़कर अन्य पक्षों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों, निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि द्वारा ऋणों की अदायगियां आदि शामिल हैं।

**2. विविध पूंजी प्राप्तियां :** इनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के कुछ भाग के विनिवेश के कारण प्राप्तियां, सामारिक विनिवेश से प्राप्तियां और इसी प्रकार के अन्य लेन-देन शामिल हैं। सरकार ने "राष्ट्रीय निवेश कोष" (एनआईएफ) नाम से एक कोष स्थापित किया है जिसमें चुनिंदा सीपीएसईएस में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से मिलने वाले आगमों को चैनलाइज किया जाता है। इस प्रकार एनआईएफ में जमा इन निधियों को आहरित किया जाएगा और वर्ष 2019-20 में पूर्ण व्यय के संबंध में इनका उपयोग अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों और भारतीय रेलवे में निवेश में वित्तीय व्यय हेतु किया जाएगा।

**3.1 बाजार ऋण :** भारत सरकार वर्ष 1992-93 से दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना के अंतर्गत अपने बाजार ऋण जुटाती है। इन नीलामियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण प्रबंधक के रूप में किया जाता है। नियत कूपन प्रतिभूतियों के अलावा, सरकार ने फ्लोटिंग रेट बांड (एफआरबी) भी जारी किए हैं जिनपर अर्ध-वार्षिक आधार पर देय कूपन दर को नीलामी में निर्धारित विस्तार 'स्प्रेड' को जोड़कर अर्धवार्षिक आधार पर पुनःनिर्धारित किया जाता है। वर्ष 2002-03 से, केंद्र सरकार अपनी महत्वपूर्ण उधार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर अर्ध-वार्षिक निर्देशात्मक बाजार उधार कैलेन्डर की घोषणा करती रही है। वर्ष 2019-20 में अदायगियों का ब्यौरा भाग ख के विवरण 6 'विशेष प्रतिभूतियों/पुनःपूंजीकरण बॉण्ड का रूपांतरण' में दिया गया है। भारत सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विपणनीय प्रतिभूतियों में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के एवज में जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों का रूपांतरण पूरा कर लिया है। रूपांतरित कर जारी की गई विपणनीय प्रतिभूतियों के ब्यौरे भाग ख के विवरण 2 में दिए गए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ पुनःपूंजीकरण बॉण्डों को एसएलआर विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने का कार्य भी पूरा कर लिया है (भाग-ख के 2क में ब्यौरा देखें)।

**3.5 वापसी खरीद :** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारत सरकार धारकों से अपनी मौजूदा प्रतिभूतियां उन्हें परिपक्वता पूर्व उन्मोचन कर पुनः खरीदती है जिससे लागत में कमी आती है, बकाया स्टॉक में कमी आती है और सरकारी प्रतिभूति बाजार में नकदी की स्थिति में सुधार होता है।

**3.6 अल्पावधिक उधार :** ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं, बैंकों आदि को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती हैं। मुख्यतः इन्हें सरकार के सामान्य नीलामी कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी किया जाता है और ये अप्रतिस्पद्धी बोलियों के लिए विकल्प भी प्रदान करती हैं। 91 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की साप्ताहिक नीलामी और 182 दिवसीय और 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की पाक्षिक नीलामी निर्देशात्मक त्रैमासिक कैलेन्डर में निर्दिष्ट की जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा अल्पावधिक के नकद अधिशेषों के नियोजन के लिए 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुंडियां भी जारी करती है।

**4 लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां :** इस समय जारी लघु बचत योजनाएं हैं: डाकघर बचत खाता, राष्ट्रीय बचत सावधिक जमा (1, 2, 3 तथा 5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) तथा लोक भविष्य निधि, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज

दर समान परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूति दरों के, कतिपय लघु बचत स्कीमों के स्प्रेड के साथ, समनुरूप कर दी गई है। राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (5 वर्ष), राष्ट्रीय बचत मासिक आय स्कीम खाता, 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम), लोक भविष्य निधि 25 बीपीएस, सुकन्या समृद्धि खाता 75 बीपीएस तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 100 बीपीएस समतुल्य परिपक्वता की सामान्य प्रतिभूति दर पर होगा। ब्याज दरें त्रैमासिक आधार पर अधिसूचित की जाती हैं।

छोटी बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां : वित्त वर्ष के दौरान आहरणों को घटाकर, विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अधीन संग्रहण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के लिए निधियों का स्रोत बनते हैं। यह निवल संग्रहण केंद्रीय और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाता है जो एनएसएसएफ के अंतर्गत निधियों का अनुप्रयोग बनता है। वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार प्रतिभूतियों की अवधि 10 वर्ष है और 8.2 प्रतिशत ब्याज दर पर कोई भुगतान स्थगन काल नहीं है। इन प्रतिभूतियों की उन्नोचन राशि को ब्याज की विद्यमान दरों पर 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में पुनर्निवेशित किया जाता है।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने एनएसएसएफ संचालित न करने के विकल्प दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश अपने संबंधित प्रांतों के भीतर जुटाए गए शुद्ध संग्रह का 100% और शेष तीन राज्य 50% ऋण प्राप्त कर रहे हैं।

एनएसएसएफ के अंतर्गत संग्रहित निवल राशि का निवेश विभिन्न सार्वजनिक अभिकरणों जैसे कि भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एयर इण्डिया आदि में भी किया जा रहा है। लघु बचत योजनाओं के अभिदाताओं को ब्याज के भुगतान और प्रबंधन लागत में केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर निधि के ब्याज तथा निधि की आय से सरकारी एजेंसियों को ऋण अग्रिम शामिल है। निधि से होने वाले व्यय के अंतर्गत अभिदाताओं को ब्याज अदायगी और प्रबन्धन लागत शामिल हैं और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज इस निधि को होने वाली आय है। एनएसएसएफ के साधन स्रोत तथा अनुप्रयोग अनुबंध 8 दिए गए हैं और एनएसएसएफ के विविध घटकों का ब्यौरा भाग-ख के विवरण 3 में दिया गया है।

**6.02 बचत बांड :** 7.75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) बांड, 2018 की शुरुआत 7 वर्षों की निरूद्ध अवधि सहित, जनवरी, 1918 में की गई थी ताकि निवासी नागरिक/धर्मार्थ संस्थाएं/विश्वविद्यालय आदि, बिना किन्हीं उच्चतम मौद्रिक सीमाओं के, अपनी बचत का निवेश इन कर योग्य बांडों में कर सकें। ये बांड 7.75% प्रतिवर्ष का प्रतिफल प्रदान करते हैं। इनमें संचयी और संचयी-भिन्न विकल्प होते हैं और अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज देय होता है। ये बांड अंतरणीय भी नहीं हैं। इनका द्वितीयक बाजार में कारोबार भी नहीं हो सकता है। 60 वर्ष और इससे ऊपर के आयु समूह के व्यक्ति निवेशक को निर्गम की तारीख से न्यूनतम लाक-इन अवधि के पश्चात परिपक्वता पूर्व नकदीकरण की अनुमति दी गई है।

**6.03 अन्य (स्वर्ण बांड, स्वर्ण मौद्रिकरण आदि) :** इस श्रेणी में सार्वभौम स्वर्ण बांड स्कीम और स्वर्ण मौद्रिकरण स्कीम जैसे साधन शामिल हैं, जिन्हें लोगों को वास्तविक सोने में निवेश करने से बचाने और सोने का आयात कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

**6.05 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं:** अनुमान (क) अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को भारत के अभिदानों/अंशदानों के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों और (ख) विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) के उपयोग से संबंधित कतिपय संव्यवहारों से संबंधित हैं। प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था का ब्यौरा निम्नवत है:

**6.05.01 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष:** आईएमएफ में भारत का कोटा 2.75 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ 13114.4 मिलियन एसडीआर है। आईएमएफ में कोटा धारिता के अर्थ में भारत का आठवां स्थान है। 2016 के आरंभ में 146वीं सामान्य कोटा समीक्षा के अनुसार कोटा वृद्धि के लिए भारत ने 7292.9 मिलियन एसडीआर प्रदान किया। इस वर्धित धारिता का रखरखाव भारतीय रुपए में किसी मूल्यवृद्धि-मूल्यह्रास के लिए मूल्य में किया जाता है। सभी सदस्यों के कोटा संसाधनों में वृद्धि के अलावा, आईएमएफ गैर रियायती सदस्य को ऋण देने के प्रयोजन से संसाधन लाइन की दूसरी और तीसरी लाइन के रूप में उधार लेने के लिए नई व्यवस्थाएं और द्विपक्षीय उधार करारों को करता है। एनएबी के प्रति भारतीय बचनबद्धता 4,440.9 मिलियन एसडीआर है, जिसमें से आज तक 34एनएबी का सक्रियान्वयन हुआ और भारत के पास शेष राशि 448.21 मिलियन एसडीआर है। बीबीए के संबंध में, भारत ने बीबीए 2016 को 10 बिलियन अमरीकी डालर देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

**6.05.03 एशियाई विकास बैंक और निधि:** एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक में रखता है जिन्हें यह भारत में अपने रुपया संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए समय-समय पर भुना सकता है।

**7. विदेशी ऋण:** बजट 2019-20 में ₹44,673 करोड़ की सकल प्राप्ति और ₹35,363 करोड़ की चुकौती को माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप ₹9,310 करोड़ का निवल विदेशी ऋण होगा।

**7.01 बहुपक्षीय :** ब.अ. 2019-20 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एशियाई विकास बैंक, पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी) तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹6481.18 करोड़ रहने का अनुमान है।

**7.01.03 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि:** (क) अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आरएफएडी) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1977 में की गई थी। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन हेतु समर्पित है। 176 देश आईएफएडी के सदस्य हैं और इन्हें तीन वर्गों के देशों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें सूची क. विकसित देश, सूची ख. तेल उत्पादक देश और सूची ग. विकासशील देश। भारत सूची ग. में है।

(ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि का एक संस्थापक सदस्य है और इसने आईएफएडी संसाधनों के लिए अब तक 171 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है।

(ग) भारत ने आईएफएडी के 11वें पुनःपूर्ति चक्र के लिए 40 मिलियन अमरीकी डालर की राशि देने का वचन दिया है। इसके अलावा, भारत ने रियायती भागीदार ऋण (सीपीएल) (5 वर्षों की छूट अवधि के साथ 25 वर्षों की अवधि तक 1 प्रतिशत ब्याज दर पर) के रूप में 20 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का वचन दिया है। आईएफएडी ने इसकी शुरुआत प्रथम बार की है।

(घ) भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है। भारत आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड के सहायक निकायों अर्थात् एवेल्युएशन कमिटी ऑन ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क का सदस्य भी है।

(ड.) वर्ष 1979 से, आईएफएडी ने कृषि ग्रामीण विकास, जनजाति विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में 30 परियोजनाओं को 1100 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की वचनबद्धता के साथ सहायता प्रदान की है।

(च) मौजूदा निष्पादन आधार आबंटन प्रणाली (पीबीएस) चक्र, अर्थात् 2019-21 के लिए, भारत के विभिन्न मंत्रालयों/राज्य सरकारों की ओर से मांग की गई है। हाल ही में, भारत ने अवधि 2018-24 के लिए भारत हेतु राष्ट्र रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (सीओएसओपी) को भी अनुमोदित कर दिया है। वर्तमान सीओएसओपी में दो पीबीएस चक्र: 2019-21 और 2022-24 शामिल होंगे।

(छ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भारत में लघु धारक खेती करने वाले परिवारों को सशक्त बनाने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा आधारित कृषि प्रौद्योगिकियों को उन्नत बनाने नामक परियोजना प्रस्ताव के लिए आईएफएडी 19 नवम्बर, 2018 को ₹420 करोड़ (लगभग 60 मिलियन अमरीकी डालर) की सहायता के लिए अनुरोध किया है।

(ज) 1 जनवरी, 2018 से भारत साधारण शर्तों पर ऋणों का पात्र है। साधारण शर्तों पर प्रदत्त आईएफएडी ऋणों की ब्याज दर आईएफएडी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा अर्धवार्षिक रूप से निर्धारित परिवर्तनीय संदर्भ दर के एक सौ प्रतिशत (100 प्रतिशत) के समतुल्य प्रतिवर्ष होगी, और इसकी परिपक्वता अवधि 15-18 वर्ष होगी। इसमें 3 वर्ष की छूट अवधि शामिल है, जिसकी शुरुआत विनिर्दिष्ट संवितरण शर्तों को पूरा करने की तिथि से होगी।

(झ) वर्ष 2013 से 2017 तक, आईएफएडी ने भारत को 1.25 प्रतिशत जमा 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार प्रति वर्ष की ब्याज दर पर नरम शर्तों पर ऋण प्रदान किया था, जिसकी परिपक्वता अवधि 25 वर्ष थी। इसमें 5 वर्षों की छूट अवधि शामिल थी। भारत ने मेघा-लैम्प और आंध्र प्रदेश सूखा उपशमन परियोजना (एपीडीएमपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, वर्ष 2013 तक हस्ताक्षरित परियोजनाओं के संबंध में आईएफएडी ऋणों को चुकाने की अवधि 10 वर्षों की छूट अवधि सहित 40 वर्ष है और इस पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं होगा। तथापि, बकाया ऋण राशियों पर 1 प्रतिशत की 3/4 दर (0.75 प्रतिशत) प्रतिवर्ष दर पर सेवा प्रभार लगाया जाता है।

**7.02 द्विपक्षीय :** ब.अ. 2019-20 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूसी संघ और यूरोपियन निवेश बैंक (ईआईबी) से होने वाली निवल प्राप्तियां ₹9359.27 करोड़ रहने का अनुमान है।

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2010-2011	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-2014	वास्तविक 2014-2015	वास्तविक 2015-2016	वास्तविक 2016-2017	वास्तविक 2017-18	संशोधित 2018-19	बजट 2019-20
<b>राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>788471</b>	<b>751437</b>	<b>879232</b>	<b>1014724</b>	<b>1101473</b>	<b>1195025</b>	<b>1374203</b>	<b>1435232</b>	<b>1729676</b>	<b>1977693</b>
<b>क. कर राजस्व</b> (राज्यों का निवल हिस्सा) (ब्योरा अनुबंध 2 में)	569869	629765	741877	815854	903615	943765	1101372	1242488	1484406	1705046
<b>ख. कर-भिन्न राजस्व</b> (ब्योरा अनुबंध 2 में)	218602	121672	137355	198870	197858	251260	272831	192744	245270	272647
<b>पूंजी प्राप्तियां</b>	<b>402428</b>	<b>568918</b>	<b>582152</b>	<b>563894</b>	<b>484449</b>	<b>582579</b>	<b>609866</b>	<b>702648</b>	<b>566148</b>	<b>568332</b>
<b>1. आंतरिक ऋण-बाजार उधार (निवल)</b>	<b>325414</b>	<b>436211</b>	<b>467356</b>	<b>453550</b>	<b>445138</b>	<b>404050</b>	<b>349657</b>	<b>410256</b>	<b>302533</b>	<b>236244</b>
<b>1.01 सकल बाजार उधार</b>										
क. सामान्य/नवीन	437000	509796	558000	557000	592000	585000	582000	588000	571000	710000
ख. स्विच आपरेशनों के जरिए सरकारी प्रतिभूति	...	...	...	31472	37374	38300	41625	59158	28059	50000
ग. अन्य	...	...	...	6675	...	...	1045	...	...	...
<b>कुल</b>	<b>437000</b>	<b>509796</b>	<b>558000</b>	<b>595147</b>	<b>629374</b>	<b>623300</b>	<b>624670</b>	<b>647158</b>	<b>599059</b>	<b>760000</b>
<b>वापसी अदायगी</b>										
क. सामान्य/नवीन	111586	73585	90644	95007	138925	144375	174846	137272	148263	236878
ख. स्विचिंग	...	...	...	31000	39028	37349	40510	58075	148263	236878
ग. वापस खरीद/अन्य	...	...	...	15590	6283	37526	59657	41555	...	50000
<b>1.02 घटाइए-वापसी अदायगियां</b>	<b>111586</b>	<b>73585</b>	<b>90644</b>	<b>141597</b>	<b>184236</b>	<b>219250</b>	<b>275013</b>	<b>236902</b>	<b>296526</b>	<b>523756</b>
<b>2. विदेशी सहायता (निवल)</b>	<b>23556</b>	<b>12448</b>	<b>7201</b>	<b>7292</b>	<b>12933</b>	<b>12748</b>	<b>17996</b>	<b>7931</b>	<b>-4893</b>	<b>-2952</b>
2.01 सकल विदेशी उधार	35330	26034	23309	25416	33534	36054	44191	48517	40209	44673
2.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	11774	13586	16108	18124	20601	23306	26195	26685	31340	35363
2.03 निवलित व्यय	...	...	...	...	...	...	...	-13901	-13762	-12262
<b>3. ऋणों की वसूली*</b>	<b>12420</b>	<b>18850</b>	<b>15060</b>	<b>12497</b>	<b>13738</b>	<b>20835</b>	<b>17630</b>	<b>15633</b>	<b>13155</b>	<b>12508</b>
<b>4. अल्प बचतें (निवल)</b>	<b>11233</b>	<b>-10302</b>	<b>8626</b>	<b>12357</b>	<b>32226</b>	<b>52465</b>	<b>67435</b>	<b>102628</b>	<b>125000</b>	<b>130000</b>
<b>5. अल्पकालिक ऋण</b>	<b>333174</b>	<b>126866</b>	<b>53350</b>	<b>7729</b>	<b>9179</b>	<b>50693</b>	<b>5550</b>	<b>44949</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>
<b>6. राज्य भविष्य निधियां (निवल)</b>	<b>12514</b>	<b>10804</b>	<b>10920</b>	<b>9753</b>	<b>11920</b>	<b>11858</b>	<b>17745</b>	<b>15799</b>	<b>17000</b>	<b>18000</b>
<b>7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी का विनिवेश</b>	<b>22846</b>	<b>18088</b>	<b>25890</b>	<b>29368</b>	<b>37737</b>	<b>42132</b>	<b>47723</b>	<b>100045</b>	<b>80000</b>	<b>90000</b>
<b>8. पूंजी प्राप्तियों की अन्य मदें (निवल)#</b>	<b>-338729</b>	<b>-44047</b>	<b>-6251</b>	<b>31348</b>	<b>-78422</b>	<b>-12202</b>	<b>86130</b>	<b>5407</b>	<b>8353</b>	<b>59532</b>
<b>जोड़-प्राप्तियां</b>	<b>1190899</b>	<b>1320355</b>	<b>1461384</b>	<b>1578618</b>	<b>1585922</b>	<b>1777604</b>	<b>1984069</b>	<b>2137880</b>	<b>2295824</b>	<b>2546025</b>
<b>राजस्व लेखे पर घाटा</b>	<b>252252</b>	<b>394348</b>	<b>364282</b>	<b>357048</b>	<b>365519</b>	<b>342736</b>	<b>316381</b>	<b>443602</b>	<b>410930</b>	<b>469914</b>
<b>प्राथमिक घाटा</b>	<b>139569</b>	<b>242840</b>	<b>177020</b>	<b>128604</b>	<b>108281</b>	<b>91133</b>	<b>54904</b>	<b>62112</b>	<b>46828</b>	<b>38638</b>
बजट घाटा/नकद का कम आहरण	8430	-15990	-51012	-19171	77844	13170	-8895	4092	41201	50998
राजकोषीय घाटा	373592	515990	490190	502858	510725	532792	535618	591064	634398	703699
* अर्थात् अग्रिमों की वसूली घटाकर सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	10000	10000	10000	10000	20000	23000	50000	50100	50100
# इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं	433	398	349	316	276	242	202	201	275	275
(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, एशियाई विकास बैंक आदि को जारी की गई	9051	1613	4323	367	4619	52714	2181	543	9793	584
(ख) तेल कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	...	...	...	...	...	...	...	80000	106000	...
(घ) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	300	300	250	105	100	140	120	225	...	...
(ङ) एक्जिम बैंक को जारी प्रतिभूतियां	...	...	...	...	...	...	...	...	4500	550

## अनुबंध - 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2010-11	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-14	वास्तविक 2014-15	वास्तविक 2015-16	वास्तविक 2016-17	वास्तविक 2017-18	संशोधित 2018-19	बजट 2019-2020
<b>क. कर राजस्व</b>										
<b>सकल कर राजस्व</b>	<b>793072</b>	<b>889177</b>	<b>1036235</b>	<b>1138733</b>	<b>1244886</b>	<b>1455648</b>	<b>1715822</b>	<b>1919008</b>	2248175	2552131
1. निगम कर	298688	322816	356326	394678	428925	453228	484924	571202	671000	760000
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	139069	164485	196512	237817	258326	287628	349436	419880	529000	620000
3. ब्याज कर	4	3	6	8	6	5	5	4	...	...
4. आय और व्यय पर अन्य कर	29	21	15	9	11	4	15163	10888	...	...
5. सीमा-शुल्क	135813	149328	165346	172085	188016	210338	225370	129030	130038	145388
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	137701	144901	175845	169455	188128	288073	381756	258834	259612	259600
7. सेवा कर	71016	97509	132601	154778	167969	211414	254499	81228	9283	...
8. सम्पदा शुल्क	...	...	1	...	...	1	1	1	...	...
9. धन कर	687	787	844	1007	1086	1079	184	62	...	...
10. उपहार कर	...	1	1	1	...	...	...	...	...	...
11. माल एवं सेवा कर	...	...	...	...	...	...	...	442561	643900	761200
12. अन्य कर और शुल्क	8083	6541	5644	5765	9215	...	338	597	...	...
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	1982	2785	3094	3130	3204	3878	4146	4721	5342	5943
14. घटाइए—राज्यों का हिस्सा	219303	255414	291547	318230	337808	506193	608000	673005	761454	844605
15. घटाइए—राष्ट्रीय आ.आ. निधि व्यय प्राप्तियों से घटाकर	3900	3998	2810	4650	3461	5690	6450	3515	2315	2480
<b>निवल-केंद्र का कर राजस्व</b>	<b>569869</b>	<b>629765</b>	<b>741878</b>	<b>815853</b>	<b>903617</b>	<b>943765</b>	<b>1101372</b>	<b>1242488</b>	<b>1484406</b>	<b>1705046</b>
1. राजकोषीय सेवाएं	84	129	786	884	1394	630	765	460	421	426
2. ब्याज प्राप्तियां	19734	20252	20761	21868	23804	25379	16229	13574	12047	12911
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज प्राप्तियां	10363	10040	9406	8985	8367	7859	7608	7358	5654	5860
2.02 रेलवे पूंजी पर ब्याज प्राप्तियां	3906	5630	5349	7983	9148	10145	*	...	...	...
2.03 ब्याज प्राप्तियां अन्य ब्याज प्राप्तियां	5465	4582	6006	4900	6289	7375	8621	6216	6394	7051
3. लाभांश और लाभ	47992	50608	53761	90435	89833	112127	123017	91361	119265	136071
4. अन्य सामान्य सेवाएं	9530	7049	10160	11670	13472	14373	16091	17565	17854	21674
5. सामाजिक सेवाएं	771	948	4766	1264	1675	4331	11928	2944	2691	4047
6. आर्थिक सेवाएं	136722	38708	43693	67657	64718	91001	101697	61369	89654	94362
7. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1097	1015	1117	1474	1362	1538	1804	1890	2076	2149
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	2673	2962	2311	3618	1600	1881	1300	3582	1270	1006
<b>जोड़-कर-भिन्न राजस्व**</b>	<b>218603</b>	<b>121671</b>	<b>137355</b>	<b>198870</b>	<b>197857</b>	<b>251260</b>	<b>272831</b>	<b>192744</b>	<b>245276</b>	<b>272647</b>
<b>जोड़-राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>788472</b>	<b>751436</b>	<b>879233</b>	<b>1014723</b>	<b>1101475</b>	<b>1195025</b>	<b>1374203</b>	<b>1435232</b>	<b>1729682</b>	<b>1977693</b>
** वाणिज्यिक विभागों की निम्नलिखित प्राप्तियों को घटाकर।										
(क) सामान्य सेवाएं	9550	9729	10111	11695	13502	21140	24561	24563	25474	26811
(ख) आर्थिक सेवाएं	107342	118646	139981	158737	177693	187477	184221	195506	220756	241686
<b>जोड़</b>	<b>116892</b>	<b>128375</b>	<b>150092</b>	<b>170432</b>	<b>191195</b>	<b>208617</b>	<b>208782</b>	<b>220069</b>	<b>246230</b>	<b>268497</b>

## वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

(₹ करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019	संशोधित अनुमान 2018-2019	बजट अनुमान 2019-20
<b>क. राजस्व प्राप्ति</b>				
वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई राजस्व प्राप्ति	1691141.46	1993349.32	1992844.66	2261969.58
<b>घटाइए:</b>				
रेलवे की राजस्व प्राप्ति	-178929.64	-201090.00	-197214.00	-216935.00
डाक की राजस्व प्राप्ति	-12832.76	-16956.11	-18000.44	-19203.29
रक्षा की राजस्व प्राप्ति	-6736.35	-6550.79	-7699.19	-7360.95
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की राजस्व प्राप्ति	-22412.46	-24506.63	-22529.65	-25289.75
चिड़ियाघर के प्रवेश के संबंध में प्राप्ति	-5.83	-8.00	-8.00	-8.00
ब्याज भुगतान	-14755.27	-15000.00	-12421.77	-12000.00
वर्षिक नागरिक कल्याण निधि में प्रोद्भूत प्राप्ति	-64.43	...	-100.00	...
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली से अपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्राप्ति	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल उपकरण की प्रतिपूर्ति	-174.82	...	...	...
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण/ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान	-3515.12	-2500.00	-2315.00	-2480.00
बीएसएनएल को ऋण पर ब्याज माफी	...	...	-427.68	...
बीएसएनएल के बकाया ऋण पर ब्याज माफी	...	...	-983.18	...
हिंदुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन लिमिटेड के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना/ब्याज माफी	...	...	-463.31	...
उर्वरक कंपनियों के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना/ऋण माफी	-15855.12	...	...	...
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना	-255.00	...	...	...
अंडमान और निकोबार वन पौधारोपण विकास निगम के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना/बायज माफी	-372.01	...	...	...
<b>निवल राजस्व प्राप्ति</b>	<b>1435232.65</b>	<b>1725737.79</b>	<b>1729682.44</b>	<b>1977692.59</b>
<b>ख. पूंजी प्राप्ति</b>				
भारत की संचित निधि की कुल प्राप्ति (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां, अर्थोपाय अग्रिम तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	1579949.31	1425974.94	1722486.69	1748745.31
कुल लोक लेखा प्राप्ति	1428258.56	1442490.60	1493807.28	1641804.08
14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों और अर्थोपाय अग्रिमों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण	26354.62	...	-43391.23	21001.50
<b>जोड़</b>	<b>3034562.49</b>	<b>2868465.54</b>	<b>3172902.74</b>	<b>3411550.89</b>
<b>घटाइए :</b>				
कुल लोक ऋण संवितरण (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों, अर्थोपाय अग्रिमों की वापसी-अदायगी तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	-754219.38	-699670.92	-813041.49	-998434.65
कुल लोक लेखा संवितरण	-1428240.26	-1364482.49	-1487602.39	-1593136.10
<b>निवल</b>	<b>852102.85</b>	<b>804312.13</b>	<b>872258.86</b>	<b>819980.14</b>
बोनस शेयर जारी करना	-3.40	...	-252.18	...
एक्जिम बैंकों विशेष प्रतिभूतियां जारी करना	...	...	-4500.00	-550.00
पूँजी में वृद्धि करने के लिए पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियाँ जारी करना	-80000.00	-65000.00	-106000.00	-0.01
ऋण के नए प्रबंध (एनएबी) के अंतर्गत प्राप्ति	-7.29	-1000.00	-1000.00	-1000.00

## वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

(₹ करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019	संशोधित अनुमान 2018-2019	बजट अनुमान 2019-20
राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता की प्राप्ति	-13900.73	-14016.00	-13762.12	-12262.05
सरकारी कर्मचारियों से ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां	-201.21	-275.00	-275.00	-275.00
भारतग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन	-120.00	...	-225.00	-0.01
एडीबी/एफ,आईएमएफ के लिए जारी प्रतिभूतियां	...	-0.03	-9278.35	-100.01
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि को जारी प्रतिभूतियां	-134.85	-103.25	-106.21	-75.43
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को जारी प्रतिभूतियां	-408.33	-408.34	-408.34	-408.34
भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	-50000.00	-50000.00	-50000.00	-50000.00
राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम	...	-100.00	-100.00	-100.00
उर्वरक कंपनियों के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना/ऋण माफी	-4677.38	...	...	...
<b>निवल पूंजी प्राप्ति</b>	<b>702649.66</b>	<b>673409.51</b>	<b>686351.66</b>	<b>755209.29</b>
<b>कुल प्राप्ति</b>	<b>2137882.31</b>	<b>2399147.30</b>	<b>2416034.10</b>	<b>2732901.88</b>
<b>कुल व्यय</b>	<b>2141974.70</b>	<b>2442213.30</b>	<b>2457235.02</b>	<b>2784199.55</b>
<b>नकद शेष (एमएसएस को छोड़कर) वृद्धि (+)/कमी (-)</b>	<b>-4092.39</b>	<b>-43066.00</b>	<b>-41200.92</b>	<b>-51297.67</b>

बजट अनुमान 2019-20 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

अनुबन्ध-4

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0032)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	कुल जोड़ (4 से 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	11775.31	9893.51	-0.32	11004.42	2284.72	1402.62	<b>36360.26</b>
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	3747.31	3148.46	-0.10	3501.99	727.08	446.36	<b>11571.10</b>
3.	असम	3.311	9056.46	7609.15	-0.24	8463.56	1757.19	1078.77	<b>27964.89</b>
4.	बिहार	9.665	26436.33	22211.56	-0.71	24705.63	5129.34	3148.98	<b>81631.13</b>
5.	छत्तीसगढ़	3.080	8424.61	7078.28	-0.23	7873.08	1634.60	1003.50	<b>26013.84</b>
6.	गोवा	0.378	1033.93	868.70	-0.03	966.24	200.61	123.16	<b>3192.61</b>
7.	गुजरात	3.084	8435.55	7087.48	-0.23	7883.31	1636.72	1004.81	<b>26047.64</b>
9.	हरियाणा	1.084	2965.03	2491.19	-0.08	2770.91	575.29	353.18	<b>9155.52</b>
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1950.24	1638.58	-0.05	1822.57	378.40	232.30	<b>6022.04</b>
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	5071.18	4260.76	-0.14	4739.19	983.94	604.06	<b>15658.99</b>
11.	झारखंड	3.139	8585.99	7213.87	-0.23	8023.90	1665.91	1022.73	<b>26512.17</b>
12.	कर्नाटक	4.713	12891.30	10831.15	-0.35	12047.35	2501.25	1535.56	<b>39806.26</b>
13.	केरल	2.500	6838.16	5745.36	-0.18	6390.49	1326.78	814.53	<b>21115.14</b>
14.	मध्य प्रदेश	7.548	20645.77	17346.39	-0.56	19294.16	4005.82	2459.23	<b>63750.81</b>
15.	महाराष्ट्र	5.521	15101.39	12688.05	-0.41	14112.75	2930.07	1798.81	<b>46630.66</b>
16.	मणिपुर	0.617	1687.66	1417.95	-0.04	1577.17	327.45	201.03	<b>5211.22</b>
17.	मेघालय	0.642	1756.04	1475.41	-0.05	1641.08	340.72	209.17	<b>5422.37</b>
18.	मिजोरम	0.460	1258.22	1057.15	-0.03	1175.85	244.13	149.87	<b>3885.19</b>
19.	नागालैण्ड	0.498	1362.16	1144.47	-0.04	1272.98	264.29	162.25	<b>4206.11</b>
20.	ओडिशा	4.642	12697.10	10667.98	-0.34	11865.86	2463.57	1512.42	<b>39206.59</b>
21.	पंजाब	1.577	4313.51	3624.17	-0.12	4031.12	836.93	513.81	<b>13319.42</b>
22.	राजस्थान	5.495	15030.28	12628.30	-0.40	14046.29	2916.27	1790.34	<b>46411.08</b>
23.	सिक्किम	0.367	1003.84	843.42	-0.03	938.12	194.77	119.57	<b>3099.69</b>
24.	तमिलनाडु	4.023	11003.97	9245.43	-0.30	10283.57	2135.06	1310.74	<b>33978.47</b>
25.	तेलंगाना	2.437	6665.84	5600.58	-0.18	6229.45	1293.35	794.01	<b>20583.05</b>
26.	त्रिपुरा	0.642	1756.04	1475.41	-0.05	1641.08	340.72	209.17	<b>5422.37</b>
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	49122.61	41272.37	-1.33	45906.71	9531.07	5851.27	<b>151682.70</b>
28.	उत्तराखंड	1.052	2877.50	2417.65	-0.08	2689.12	558.31	342.76	<b>8885.26</b>
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	20033.07	16831.61	-0.54	18721.57	3886.94	2386.25	<b>61858.90</b>
	<b>जोड़</b>	<b>100.00</b>	<b>273526.40</b>	<b>229814.39</b>	<b>-7.39</b>	<b>255619.52</b>	<b>53071.30</b>	<b>32581.26</b>	<b>844605.48</b>

\* चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।  
@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

संशोधित अनुमान 2018-19 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर @ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	समेकित जीएसटी (0008)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	जोड़ (4 से 10)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (11+13)	2016-17 का अन्तर (वास्तविक सं.अ.) सं.अ. 2018-19 में समायोजनीय	2017-18 का अन्तर (वास्तविक सं.अ.) सं.अ. 2018-19 में समायोजनीय	कुल जोड़ (12+14+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	10394.21	8423.87	-0.32	9089.45	0.00	2034.69	1624.28	<b>31566.18</b>	4.398	159.87	<b>31726.05</b>	849.68	211.30	<b>32787.03</b>
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	3307.80	2680.77	-0.10	2892.58	0.00	647.51	516.90	<b>10045.46</b>	1.431	52.02	<b>10097.48</b>	271.22	67.44	<b>10436.14</b>
3.	असम	3.311	7994.25	6478.84	-0.25	6990.75	0.00	1564.89	1249.24	<b>24277.72</b>	3.371	122.54	<b>24400.26</b>	653.16	162.43	<b>25215.85</b>
4.	बिहार	9.665	23335.66	18912.12	-0.72	20406.39	0.00	4568.02	3646.62	<b>70868.09</b>	9.787	355.77	<b>71223.86</b>	1905.28	473.82	<b>73602.96</b>
5.	छत्तीसगढ़	3.080	7436.51	6026.83	-0.23	6503.02	0.00	1455.72	1162.09	<b>22583.94</b>	3.166	115.09	<b>22699.03</b>	608.39	151.27	<b>23458.69</b>
6.	गोवा	0.378	912.66	739.66	-0.03	798.10	0.00	178.66	142.62	<b>2771.67</b>	0.379	13.78	<b>2785.45</b>	74.40	18.51	<b>2878.36</b>
7.	गुजरात	3.084	7446.17	6034.66	-0.23	6511.47	0.00	1457.61	1163.60	<b>22613.28</b>	3.172	115.31	<b>22728.59</b>	609.24	151.49	<b>23489.32</b>
8.	हरियाणा	1.084	2617.26	2121.13	-0.08	2288.72	0.00	512.34	408.99	<b>7948.36</b>	1.091	39.66	<b>7988.02</b>	213.49	53.09	<b>8254.60</b>
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1721.50	1395.17	-0.05	1505.41	0.00	336.99	269.02	<b>5228.04</b>	0.722	26.25	<b>5254.29</b>	140.53	34.95	<b>5429.77</b>
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	4476.39	3627.84	-0.14	3914.48	0.00	876.26	699.52	<b>13594.35</b>	0.000	0.00	<b>13594.35</b>	316.26	79.19	<b>13989.80</b>
11.	झारखंड	3.139	7578.96	6142.28	-0.24	6627.59	0.00	1483.60	1184.35	<b>23016.54</b>	3.198	116.25	<b>23132.79</b>	619.32	154.02	<b>23906.13</b>
12.	कर्नाटक	4.713	11379.30	9222.22	-0.35	9950.89	0.00	2227.53	1778.22	<b>34557.81</b>	4.822	175.28	<b>34733.09</b>	930.37	231.37	<b>35894.83</b>
13.	केरल	2.500	6036.13	4891.91	-0.19	5278.43	0.00	1181.59	943.25	<b>18331.12</b>	2.526	91.82	<b>18422.94</b>	492.69	122.54	<b>19038.17</b>
14.	मध्य प्रदेश	7.548	18224.27	14769.65	-0.56	15936.62	0.00	3567.45	2847.87	<b>55345.30</b>	7.727	280.88	<b>55626.18</b>	1490.13	370.56	<b>57486.87</b>
15.	महाराष्ट्र	5.521	13330.18	10803.29	-0.41	11656.88	0.00	2609.42	2083.08	<b>40482.44</b>	5.674	206.26	<b>40688.70</b>	1090.54	271.19	<b>42050.43</b>
16.	मणिपुर	0.617	1489.72	1207.32	-0.05	1302.72	0.00	291.62	232.80	<b>4524.13</b>	0.623	22.65	<b>4546.78</b>	121.58	30.23	<b>4698.59</b>
17.	मेघालय	0.642	1550.08	1256.24	-0.05	1355.50	0.00	303.43	242.23	<b>4707.43</b>	0.650	23.63	<b>4731.06</b>	126.56	31.45	<b>4889.07</b>
18.	मिजोरम	0.460	1110.65	900.11	-0.03	971.23	0.00	217.41	173.56	<b>3372.93</b>	0.464	16.87	<b>3389.80</b>	90.63	22.53	<b>3502.96</b>
19.	नागालैण्ड	0.498	1202.40	974.47	-0.04	1051.46	0.00	235.37	187.90	<b>3651.56</b>	0.503	18.28	<b>3669.84</b>	98.16	24.41	<b>3792.41</b>
20.	ओडिशा	4.642	11207.88	9083.29	-0.35	9800.98	0.00	2193.97	1751.43	<b>34037.20</b>	4.744	172.45	<b>34209.65</b>	916.23	227.85	<b>35353.73</b>
21.	पंजाब	1.577	3807.59	3085.82	-0.12	3329.63	0.00	745.35	595.00	<b>11563.27</b>	1.589	57.76	<b>11621.03</b>	310.66	77.26	<b>12008.95</b>
22.	राजस्थान	5.495	13267.40	10752.41	-0.41	11601.98	0.00	2597.13	2073.27	<b>40291.78</b>	5.647	205.27	<b>40497.05</b>	1085.39	269.91	<b>41852.35</b>
23.	सिक्किम	0.367	886.10	718.13	-0.03	774.87	0.00	173.46	138.47	<b>2691.00</b>	0.369	13.41	<b>2704.41</b>	72.27	17.99	<b>2794.67</b>
24.	तमिलनाडु	4.023	9713.33	7872.06	-0.30	8494.04	0.00	1901.41	1517.88	<b>29498.42</b>	4.104	149.18	<b>29647.60</b>	793.85	197.42	<b>30638.87</b>
25.	तेलंगाना	2.437	5884.02	4768.63	-0.18	5145.41	0.00	1151.81	919.48	<b>17869.17</b>	2.499	90.84	<b>17960.01</b>	481.21	119.66	<b>18560.88</b>
26.	त्रिपुरा	0.642	1550.08	1256.24	-0.05	1355.50	0.00	303.43	242.23	<b>4707.43</b>	0.648	23.56	<b>4730.99</b>	126.52	31.44	<b>4888.95</b>
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	43361.11	35141.51	-1.34	37918.10	0.00	8488.05	6775.95	<b>131683.38</b>	18.205	661.77	<b>132345.15</b>	3540.76	880.55	<b>136766.46</b>
28.	उत्तराखंड	1.052	2540.00	2058.51	-0.08	2221.16	0.00	497.21	396.92	<b>7713.72</b>	1.068	38.82	<b>7752.54</b>	207.46	51.59	<b>8011.59</b>
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	17683.43	14331.33	-0.55	15463.68	0.00	3461.58	2763.36	<b>53702.83</b>	7.423	269.83	<b>53972.66</b>	1443.97	359.09	<b>55775.72</b>
	<b>जोड़</b>	<b>100.00</b>	<b>241445.04</b>	<b>195676.31</b>	<b>-7.48</b>	<b>211137.04</b>	<b>0.00</b>	<b>47263.51</b>	<b>37730.13</b>	<b>733244.55</b>	<b>100.00</b>	<b>3635.10</b>	<b>736879.65</b>	<b>19679.95</b>	<b>4894.55</b>	<b>761454.15</b>

\* चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

## वास्तविक 2017-18 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)#	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	समेकित जीएसटी^ (0008)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	जोड़ (4 से 11)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (12+14)	सं.अ. 2017-18 के अनुसार के हिस्से की सुपुर्दगी	2017-18 का अंतर (वास्तविक सं.अ. 2018-19 में समायोजनीय)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	9621.23	7418.01	0.87	3651.34	2927.31	2170.97	2042.33	10.81	27842.87	4.398	1369.68	29212.55	29001.25	211.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	3061.81	2360.67	0.28	1161.98	931.57	690.88	649.94	3.44	8860.57	1.431	445.66	9306.23	9238.79	67.44
3.	असम	3.311	7399.74	5705.23	0.67	2808.27	2251.41	1669.71	1570.77	8.31	21414.11	3.371	1049.84	22463.95	22301.52	162.43
4.	बिहार	9.665	21600.27	16653.90	1.96	8197.49	6572.01	4873.97	4585.16	24.26	62509.02	9.787	3047.99	65557.01	65083.19	473.82
5.	छत्तीसगढ़	3.080	6883.48	5307.19	0.62	2612.34	2094.34	1553.22	1461.18	7.73	19920.10	3.166	986.00	20906.10	20754.83	151.27
6.	गोवा	0.378	844.79	651.34	0.08	320.61	257.03	190.62	179.33	0.95	2444.75	0.379	118.03	2562.78	2544.27	18.51
7.	गुजरात	3.084	6892.42	5314.09	0.62	2615.73	2097.06	1555.23	1463.07	7.74	19945.96	3.172	987.87	20933.83	20782.34	151.49
8.	हरियाणा	1.084	2422.63	1867.86	0.22	919.41	737.10	546.65	514.26	2.72	7010.85	1.091	339.77	7350.62	7297.53	53.09
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1593.48	1228.58	0.14	604.74	484.83	359.56	338.25	1.79	4611.37	0.722	224.85	4836.22	4801.27	34.95
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	4143.50	3194.65	0.38	1572.49	1260.68	934.95	879.55	4.65	11990.85	0.000	0.00	11990.85	11911.66	79.19
11.	झारखंड	3.139	7015.34	5408.86	0.64	2662.38	2134.46	1582.97	1489.17	7.88	20301.70	3.198	995.96	21297.66	21143.64	154.02
12.	कर्नाटक	4.713	10533.07	8121.04	0.95	3997.39	3204.74	2376.72	2235.89	11.83	30481.63	4.822	1501.73	31983.36	31751.99	231.37
13.	केरल	2.500	5587.24	4307.79	0.51	2120.41	1699.95	1260.73	1186.02	6.28	16168.93	2.526	786.68	16955.61	16833.07	122.54
14.	मध्य प्रदेश	7.548	16869.00	13006.07	1.53	6401.93	5132.49	3806.38	3580.83	18.95	48817.18	7.727	2406.44	51223.62	50853.06	370.56
15.	महाराष्ट्र	5.521	12338.86	9513.32	1.12	4682.71	3754.17	2784.19	2619.21	13.86	35707.44	5.674	1767.07	37474.51	37203.32	271.19
16.	मणिपुर	0.617	1378.93	1063.16	0.13	523.32	419.55	311.15	292.71	1.55	3990.50	0.623	194.02	4184.52	4154.29	30.23
17.	मेघालय	0.642	1434.80	1106.24	0.13	544.52	436.55	323.75	304.57	1.61	4152.17	0.650	202.43	4354.60	4323.15	31.45
18.	मिजोरम	0.460	1028.05	792.63	0.09	390.15	312.79	231.97	218.23	1.15	2975.06	0.464	144.51	3119.57	3097.04	22.53
19.	नागालैण्ड	0.498	1112.98	858.11	0.10	422.39	338.63	251.14	236.25	1.25	3220.85	0.503	156.65	3377.50	3353.09	24.41
20.	ओडिशा	4.642	10374.39	7998.70	0.94	3937.17	3156.47	2340.92	2202.20	11.65	30022.44	4.744	1477.44	31499.88	31272.03	227.85
21.	पंजाब	1.577	3524.43	2717.35	0.32	1337.55	1072.33	795.27	748.14	3.96	10199.35	1.589	494.87	10694.22	10616.96	77.26
22.	राजस्थान	5.495	12280.76	9468.52	1.11	4660.66	3736.49	2771.08	2606.87	13.79	35539.28	5.647	1758.66	37297.94	37028.03	269.91
25.	तेलंगाना	2.437	5446.44	4199.23	0.49	2066.97	1657.11	1228.96	1156.13	6.12	15761.45	2.499	778.27	16539.72	16420.06	119.66
26.	त्रिपुरा	0.642	1434.80	1106.24	0.13	544.52	436.55	323.75	304.57	1.61	4152.17	0.648	201.81	4353.98	4322.54	31.44
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	40136.51	30945.42	3.64	15232.16	12211.76	9056.55	8519.90	45.08	116151.02	18.205	5669.63	121820.65	120940.10	880.55
28.	उत्तराखंड	1.052	2351.11	1812.72	0.21	892.27	715.34	530.51	499.08	2.64	6803.88	1.068	332.61	7136.49	7084.90	51.59
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	16368.38	12620.09	1.48	6211.95	4980.17	3693.42	3474.57	18.39	47368.45	7.423	2311.77	49680.22	49321.13	359.09
जोड़		100.00	223489.64	172311.48	20.25	84816.29	67998.00	50429.05	47440.83	251.02	646756.56	100.00	31143.28	677899.84	673005.29	4894.55

# चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

^ वास्तविक 2017-18 के लिए आईजीएसटी से संबंधित सुपुर्दगी सं.अ. 2017-18 के स्तर पर अंगीकृत की गई है।

जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)  
(एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्ट वर्ष 2017-18, के अंत तक की स्थिति के अनुसार)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादास्पद राशियां (₹ करोड़)					विवादरहित राशियां (₹ करोड़)					कुल जोड़
		1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	
	<b>आय एवं व्यय</b>											
	<b>पर कर</b>	<b>313387</b>	<b>271319</b>	<b>26384</b>	<b>12449</b>	<b>623539</b>	<b>72030</b>	<b>28595</b>	<b>5381</b>	<b>2745</b>	<b>108751</b>	<b>732290</b>
0020	निगम कर	219739	160537	15483	3429	399188	44857	19881	2905	1837	69480	468668
0021	निगम कर को छोड़कर आय पर कर	93648	110782	10901	9020	224351	27173	8714	2476	908	39271	263622
	<b>वस्तुओं एवं सेवाओं</b>											
	<b>पर कर</b>	<b>42121</b>	<b>75862</b>	<b>30944</b>	<b>4856</b>	<b>153783</b>	<b>2268</b>	<b>4018</b>	<b>3799</b>	<b>3499</b>	<b>13584</b>	<b>167367</b>
0005	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0008	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0037	सीमा शुल्क	1918	5200	2279	1004	10401	385	818	980	937	3120	13521
0038	केंद्रीय उत्पाद कर	16688	23157	11908	3564	55317	705	2242	2238	2512	7697	63014
0044	सेवा कर	23515	47505	16757	288	88065	1178	958	581	50	2767	90832
	<b>जोड़</b>	<b>355508</b>	<b>347181</b>	<b>57328</b>	<b>17305</b>	<b>777322</b>	<b>74298</b>	<b>32613</b>	<b>9180</b>	<b>6244</b>	<b>122335</b>	<b>899657</b>

अनुबन्ध - 6

कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि  
(एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्ट वर्ष 2017-18 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

विवरण	लंबित धनराशि					जोड़
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
<b>राजकोषीय सेवाएं [(i)+(ii)]</b>	<b>576.50</b>	<b>484.17</b>	<b>546.61</b>	<b>852.25</b>	<b>23536.38</b>	<b>25995.91</b>
<b>ब्याज प्राप्तियां</b> <i>जिसमें (क+ख+ग+घ)</i>	<b>576.50</b>	<b>484.17</b>	<b>546.61</b>	<b>852.25</b>	<b>23536.38</b>	<b>25995.91</b>
(क) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से	223.97	204.37	198.30	216.38	5710.19	6553.21
(ख) रेलवे से	...	...	...	...	...	...
(ग) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से	...	...	...	...	4.31	4.31
(घ) सरकारी क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से	352.53	279.80	348.31	635.87	17821.88	19438.39
(ii) लाभांश एवं लाभ	...	...	...	...	...	...
<b>2 सामान्य सेवाएं</b>	<b>7707.94</b>	<b>7490.85</b>	<b>6396.79</b>	<b>8237.87</b>	<b>9808.66</b>	<b>39642.11</b>
पुलिस प्राप्तियां	7707.94	7490.85	6396.79	8237.87	9808.66	39642.11
<b>3 आर्थिक सेवाएं [(i)+(ii)]</b>	<b>14727.04</b>	<b>35522.60</b>	<b>3498.21</b>	<b>3172.59</b>	<b>989.58</b>	<b>57910.02</b>
(i) पेट्रोलियम उपकर/रायल्टी	27.26	6.65	0.07	0.79	3.47	38.24
(ii) संचार (लाइसेंस शुल्क) प्राप्तियां	14699.78	35515.95	3498.14	3171.80	986.11	57871.78
<b>4 अन्य प्राप्तियां</b>	<b>3926.52</b>	<b>8300.79</b>	<b>6524.51</b>	<b>13031.64</b>	<b>37981.55</b>	<b>69765.01</b>
<b>जोड़ [1+2+3+4]</b>	<b>26938.00</b>	<b>51798.41</b>	<b>16966.12</b>	<b>25294.35</b>	<b>72316.17</b>	<b>193313.05</b>

टिप्पणी:

- ये आंकड़े संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित हैं और अन्य बातों के अलावा ये आंकड़े संग्रहित करते हुए किसी चालू संराधन/परिसमापन/विवादों/सुधारों आदि से प्रभावित हो सकते हैं।

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग  
31 मार्च, 2019 के अनुसार

(₹ करोड़)

विवरण	वास्तविक 2017-2018	संशोधित अनुमान 2018-2019	बजट अनुमान 2019-2020
<b>क. निधियों के स्रोत :</b>			
लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां : <i>बचत जमा राशियां</i>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	504262.77	588291.21	708287.87
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	84028.44	119996.66	129918.14
<b>बचत प्रमाण-पत्र</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	197770.59	205535.90	217354.90
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	7765.31	11819.00	12739.79
<b>लोक भविष्य निधि</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	430456.92	495777.04	554859.58
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	65320.12	59082.54	62337.36
<b>कुल जमा राशियां</b>	<b>1289604.15</b>	<b>1480502.35</b>	<b>1685497.64</b>
<b>ख. निधियों का उपयोग :</b>			
<b>31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	64569.19	64569.19	64569.19
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
<b>1.4.1999 से संग्रहणों में से केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	66002.60	134969.55	206969.55
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	75000.00	85533.00	88944.24
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-6033.05	-13533.00	-22268.32
<b>1.4.1999 से संग्रहणों में से राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	538651.47	507245.25	476711.31
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	9161.58	12000.00	14000.00
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-40567.80	-42533.94	-44955.76
<b>प्रतिभूतियों के मोचन से प्राप्त राशियों में से केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	250719.50	284380.50	337380.50
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	33661.00	53000.00	63324.08
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	...	...	...
<b>भारतीय खाद्य निगम में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	70000.00	121000.00	94000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	65000.00	...	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-14000.00	-27000.00	-27000.00
<b>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	20000.00	40000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	20000.00	20000.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
<b>एयर इंडिया में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	3000.00	...
वर्ष के दौरान वृद्धि	3000.00	2636.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	-5636.00	...
<b>बीएमटीपीसी में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	8000.00	8000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	8000.00	...	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
<b>आईआरएफसी में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	10000.00	17500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	10000.00	7500.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
<b>पीएफसी में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	...	7500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	7500.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
<b>आरईसी लि. में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	...	5000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	5000.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
<b>अन्य सरकारी एजेंसियों में निवेश</b>			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	...	112699.11
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	112699.11	136483.67
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	...	...
<b>कुल निवेश</b>	<b>1153164.49</b>	<b>1370329.66</b>	<b>1578857.57</b>
संचित अधिशेष आय(-)/व्यय (+) लेखा	107637.84	110172.69	106640.08
नकद शेष	28801.82	...	-0.01
<b>जोड़</b>	<b>1289604.15</b>	<b>1480502.35</b>	<b>1685497.64</b>

## 1. भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 2018-2019 (सं.अ.) के अंत के 90,56,725.48 करोड़ रुपए की तुलना में 2019-20 के अंत में 97,97,818.18 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	87,97,966.30	95,29,549.00
विदेशी ऋण	2,58,959.18	2,68,269.18
<b>जोड़</b>	<b>90,56,725.48</b>	<b>97,97,818.18</b>

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार में जुटाए गए ऋण, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य पार्टियों के नाम जारी की गई राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियों के जरिए उधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2017-18 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया सरकारी ऋण तथा जिसके 2018-19 और 2019-2020 के अंत में बकाया रहने का अनुमान था, का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। आंतरिक और विदेशी कर्ज दोनों के अंतर्गत बकाया राशियां सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसा कि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। विदेशी देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन परम्परागत विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यहास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों, स्थानीय निधियों की जमा राशियों और सिविल जमा रकमों की बकाया राशियों की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गारंटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में हास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायता/अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है।

## 1 (i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
<b>क लोक ऋण</b>	<b>2054.33</b>	<b>4935804.80</b>	<b>5515097.55</b>	<b>5969968.10</b>	<b>6651365.15</b>	<b>7372308.53</b>	<b>7989737.95</b>
<b>1. आंतरिक ऋण</b>	<b>2022.30</b>	<b>4738291.03</b>	<b>5304835.44</b>	<b>5741709.39</b>	<b>6401274.97</b>	<b>7113349.35</b>	<b>7721468.77</b>
(i) बाजार ऋण (विवरण 2)	1444.95	3891734.04	4298783.99	4649486.99	5068407.97	5497274.89	5932396.90
(ii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2)	358.02	67817.95	64817.95	64817.95	56154.20	50024.20	38024.20
(iiक) पीएसबी को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2ठ)	...	...	...	...	80000.00	186000.00	186000.00
(iiख) एग्जिम बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2ड)	...	...	...	...	...	4500.00	5050.00
(iii) भारतीय रिजर्व बैंक को जारी अन्य विशेष प्रतिभूतियां	...	1489.28	1489.28	...	...	...	...
(iv) क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	6.73	13440.43	12446.11	25108.06	51209.00	75507.07	105943.47
(v) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	85678.37	121127.23	156569.67	151038.42	151038.42	151038.42
(vi) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	128961.47	132854.71	106840.05	138725.92	95334.69	116336.19
(vii) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	77337.37	77806.97	85436.30	86871.86	120552.09	122601.93
(viii) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	143152.18	154033.20	142525.75	159685.00	194396.00	196344.66
(ix) अर्थोपाय अग्रिम	...	...	...	...	...	...	...
(x) नकद प्रबंधन हुंडियां	...	...	...	...	...	...	...
(xi) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	46395.07	106726.17	108739.65	104369.68	108909.07	107920.08
(xii) लघु बचतों के मुकाबले प्रतिभूतियां	...	261391.19	313856.15	381291.29	483919.24	608919.24	738919.24
(xiii) पीओएलआईएफ के तहत शेष के प्रतिभूतिकरण के मुकाबले निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2घ)	...	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68
<b>2. विदेशी ऋण*</b>	<b>32.03</b>	<b>197513.77</b>	<b>210262.11</b>	<b>228258.71</b>	<b>250090.18</b>	<b>258959.18</b>	<b>268269.18</b>
<b>ख. अन्य देनदारियां</b>	<b>811.07</b>	<b>1306716.12</b>	<b>1386873.72</b>	<b>1466093.21</b>	<b>1583812.04</b>	<b>1684716.95</b>	<b>1808380.23</b>
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	646895.29	701368.61	751198.99	805684.91	871583.11	946578.40
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	155334.26	167192.59	184938.01	200736.68	217736.68	235736.68
3 अन्य खाते	16.10	315629.59	319800.04	321856.76	324632.47	341205.67	359038.89
(i) सस्विडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियां (ओएमसी, उर्वरक कंपनियां और एफसीआई)	...	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90
(ii) अन्य मदें	16.10	152801.69	156972.14	159028.86	161804.57	178377.77	196210.99
4 प्रारक्षित निधियां और जमाराशियां	363.05	188856.98	198512.48	208099.45	252757.98	254191.49	267026.26
(i) सब्याज	260.85	108767.34	124239.65	128981.16	143908.34	153599.75	159381.34
(ii) निर्व्याज	102.20	80089.64	74272.83	79118.29	108849.64	100591.74	107644.92
<b>जोड़-देनदारियां</b>	<b>2865.40</b>	<b>6242520.92</b>	<b>6901971.27</b>	<b>7436061.31</b>	<b>8235177.19</b>	<b>9057025.48</b>	<b>9798118.18</b>
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	6242220.92	6901671.27	7435761.31	8234877.19	9056725.48	9797818.18
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिव्यय और ऋणों का आधिक्य							
<b>जोड़ (निवल)</b>	<b>2565.40</b>	<b>6242220.92</b>	<b>6901671.27</b>	<b>7435761.31</b>	<b>8234877.19</b>	<b>9056725.48</b>	<b>9797818.18</b>

\* शेष राशियां बही मूल्य के अनुसार हैं।

**1 (ii) परिसम्पत्तियों का विवरण  
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)**

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
	1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		
<b>क. पूंजी परिव्यय</b>							
<b>1. सामान्य सेवाएं</b>	496.74	826737.45	918481.95	1017844.99	1124374.28	1235994.19	1354161.63
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	745138.67	825113.98	911467.90	1001913.13	1095905.26	1199299.57
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	81598.78	93367.97	106377.09	122461.15	140088.93	154862.06
<b>2. सामाजिक सेवाएं</b>	26.25	42914.92	48321.73	53618.59	63234.41	73646.76	83248.78
<b>3. आर्थिक सेवाएं</b>	965.02	793128.05	973865.97	1114455.31	1321699.44	1524972.74	1614772.61
(i) कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	7.78	14283.27	14781.70	16332.96	20345.24	23524.27	26379.64
(ii) ग्रामीण विकास	...	75.59	79.29	84.25	88.60	88.60	88.60
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	4624.02	4881.93	5265.96	5468.32	13264.80	22216.41
(iv) जल और विद्युत विकास	5.59	63035.12	64467.77	66852.32	68531.11	72692.14	75763.28
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5.59	577.71	692.49	795.53	1084.06	1371.31	1683.51
(ख) ऊर्जा	...	62457.41	63775.28	66056.79	67447.05	71320.83	74079.77
(v) उद्योग और खनिज	34.34	64696.40	67878.16	70260.06	74273.26	82722.20	89054.53
(vi) परिवहन	830.40	377794.59	446835.16	539234.06	639111.37	760653.78	893662.76
(क) रेलवे	817.93	231712.23	266906.54	312091.06	355503.68	408104.00	472617.64
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	146082.36	179928.62	227143.00	283607.69	352549.78	421045.12
(vii) संचार	49.98	16213.40	19761.55	23238.60	27745.87	31309.83	36274.08
(क) डाक सेवाएं	49.98	3312.54	3647.71	3877.16	4515.41	4985.85	5540.38
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4719.38	4719.38	4719.38	4719.39	4719.39	4719.39
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	8181.48	11394.46	14642.06	18511.07	21604.59	26014.31
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	...	27362.18	31401.92	36631.55	42005.69	49218.56	56973.60
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	225043.48	323778.49	356555.55	444129.98	491498.56	414359.71
<b>4. संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण</b>	...	...	...	...	...	1569.77	3258.10
<b>कुल जोड़</b>	<b>1488.01</b>	<b>1662780.42</b>	<b>1940669.65</b>	<b>2185918.89</b>	<b>2509308.13</b>	<b>2836183.46</b>	<b>3055441.12</b>
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण							
राज्य सरकारें	195.58	147166.80	148217.38	153463.12	157922.00	172977.67	183525.10
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	...	4054.50	4067.10	4084.24	4089.43	3777.01	3634.88
विदेशी सरकारें	0.01	9210.62	12034.59	12920.15	13433.02	13580.18	14110.01
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	543498.81	571048.80	538651.47	507245.25	476711.31	445755.55
अन्य लिखतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश	...	1500.00	...	70000.00	162000.00	284699.11	394182.78
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को हानियां	...	90707.56	104216.89	100993.92	107637.84	110172.69	106640.08
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि, प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि को	24.58	95760.77	97387.77	104630.23	111249.33	126246.79	142825.83
सरकारी कर्मचारियों को	0.51	451.61	331.02	194.25	95.23	20.23	-54.77
<b>जोड़</b>	<b>220.68</b>	<b>892350.67</b>	<b>937303.55</b>	<b>984937.38</b>	<b>1063672.10</b>	<b>1188184.99</b>	<b>1290619.46</b>
<b>कुल जोड़-पूंजी (परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण)</b>	<b>1708.69</b>	<b>2555131.09</b>	<b>2877973.20</b>	<b>3170856.27</b>	<b>3572980.23</b>	<b>4024368.45</b>	<b>4346060.58</b>
बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत नकद शेष							
पूंजी परिव्यय तथा दिए गए ऋण की तुलना में देनदारियों का आधिक्य	856.71	3687089.83	4023698.07	4264905.04	4661896.96	5032357.03	5451757.60
<b>जोड़</b>	<b>2565.40</b>	<b>6242220.92</b>	<b>6901671.27</b>	<b>7435761.31</b>	<b>8234877.19</b>	<b>9056725.48</b>	<b>9797818.18</b>

**1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां**  
**राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण**

(रिपोर्टिंग वर्ष 2017-18 के अंत की स्थिति के अनुसार)  
 (₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	19037.00 (2)	4036.00 (2)	15001.00	...	...	...	19037.00 (2)	...	...	...
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	17028.31 (16)	16756.62 (16)	271.69	265.90	...	...	16762.41 (16)	67.10	67.12	...
	वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	800.00 (1)	800.00 (1)	...	...	...	...	800.00 (1)	2.03	2.03	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	54495.00 (2)	54495.00 (2)	...	45000.00 (1)	...	...	9495.00 (1)	...	...	...
	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग	253.00 (3)	253.00 (3)	...	253.00 (3)	...	...	...	...	...	...
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	262.00 (1)	262.00 (1)	...	13.00	...	...	249.00 (1)	78.10	...	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय भेषज विभाग	1117.23 (9)	1102.56 (9)	14.67	...	...	...	1117.23 (9)	81.47	...	...
	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	...	...	...	...	...	...	...	2.59	...	...
<b>जोड़</b>	<b>92992.54 (34)</b>	<b>77705.18 (34)</b>	<b>15287.36 (0)</b>	<b>45531.90 (4)</b>	...	...	<b>47460.64 (30)</b>	<b>231.29</b>	<b>69.15</b>	...	
2. शेयर पूंजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	250.00 (2)	250.00 (2)	...	250.00 (2)	...	...	...	2.50	...	...
	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	...	...	...	...	7000.00 (2)	70.00	70.00	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	13000.00 (2)	13000.00 (2)	...	...	...	...	13000.00 (2)	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	रेल मंत्रालय	800.14 (2)	0.05 (1)	800.09 (1)	...	...	...	800.14 (2)	9.60	9.60	...
	संचार मंत्रालय दूरसंचार विभाग	7513.97 (4)	7513.97 (4)	...	...	...	...	7513.97 (4)	29.80	29.80	...
	<b>जोड़</b>	<b>28564.11 (12)</b>	<b>27764.02 (11)</b>	<b>800.09 (1)</b>	<b>250.00 (2)</b>	...	...	<b>28314.11 (10)</b>	<b>111.90</b>	<b>109.40</b>	...
3.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, आपूर्तिकर्ताओं, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभासों, इत्यादि का भुगतान और अथवा सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये भुगतान के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय	48435.23 (38)	40452.70 (31)	7982.53 (7)	...	...	48435.23 (38)	1148.68	168.97	...
		कोयला मंत्रालय	723.29 (3)	623.30 (3)	99.99 (3)	56.65	...	666.64 (3)	5.48	5.48	...
		विद्युत मंत्रालय	36689.85 (43)	31187.70 (35)	5502.15 (8)	2110.76	...	34579.09 (43)	398.82	398.82	...
		वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	155574.50 (183)	149253.20 (174)	6321.30 (9)	2082.13 (4)	...	153492.37 (179)	170.26	173.47	...
		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	59.97 (3)	51.75 (3)	8.22	3.06	...	56.91 (3)	0.31	0.24	...
		सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	655.51 (1)	655.51 (1)	...	51.07	...	604.44 (1)	1.61	1.61	...
		नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	7358.91 (13)	7018.49 (11)	340.42 (2)	292.68	...	7066.23 (13)	79.91	79.91	...
		इस्पात मंत्रालय	399.19 (2)	363.34 (2)	35.85	...	...	399.19 (2)	0.99	0.99	...
		आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	426.50 (2)	422.62 (2)	3.88	72.73	...	353.77 (2)	3.23	3.23	...
		वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग	0.83 (1)	0.83 (1)	...	0.83 (1)	...	...	...	...	...
		शहरी विकास मंत्रालय	900.98 (2)	789.94 (2)	111.04	84.80	...	816.18 (2)	9.48	9.48	...
		विदेश मंत्रालय	59150.12 (7)	29900.12 (6)	29250.00 (1)	1222.12	...	57928.00 (7)	...	...	...
	<b>जोड़</b>	<b>310374.88 (298)</b>	<b>260719.50 (271)</b>	<b>49655.38 (27)</b>	<b>5976.83 (5)</b>	...	...	<b>304398.05 (293)</b>	<b>1818.77</b>	<b>842.20</b>	...
4.	विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियां अथवा दी गई सेवाओं के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों या प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे को प्रदान की गई गारंटियां।			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. उपर्युक्त पांच श्रेणियों से इतर अन्य गारंटियां			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>			<b>431931.53</b> <b>(344)</b>	<b>366188.70</b> <b>(316)</b>	<b>65742.83</b> <b>(28)</b>	<b>51758.73</b> <b>(11)</b>	...	...	<b>380172.80</b> <b>(333)</b>	<b>2161.96</b>	<b>1020.75</b>	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

**टिप्पणी:**

- उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित महालेखा नियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। दिनांक 31.3.2017 को प्राप्ति बजट 2018-19 में श्रेणी 2 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के समक्ष बकाया राशि के रूप में दर्शाए गए ₹13000 करोड़ के आंकड़ों को नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षा के कार्यालय द्वारा मिला लिया गया है और अब इसे उपभोक्ता मामले मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के समझ दर्शाया गया है।
- वर्ष 2017-2018 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 13,984.10 करोड़ (कॉलम 5-कॉलम 6) है। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹65742.83 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2017-2018 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.39 प्रतिशत है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए (9 जनवरी, 2019 तक) ₹ 57,749.57 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2018-19 में अनुमानित स.घ.उ. का 0.31% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।
- गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध हैं और तत्संबंधी गारंटी करार में तथा उल्लिखित अनुबंध व शर्तों के अधीन निकाय द्वारा ऋण की पुनः अदायगी की सीमा तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाएगी।

**1 (iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर**  
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2017-18, के अंत की स्थिति के अनुसार)  
लागत (₹ करोड़)

	2017-18 के आरंभ में परिसम्पत्तियां	वर्ष 2017-18 के दौरान अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	वर्ष 2017-18 के अंत में परिसम्पत्तियों का संचयी योग
<b>वास्तविक परिसम्पत्तियां:</b>			
भूमि	352661.33	4228.35	356889.67
भवन			
कार्यालय	34749.89	2231.41	36981.30
रिहायशी	17554.65	505.68	18060.33
सड़कें	12143.34	132.94	12276.28
पुल	11900.91	48.83	11949.74
सिंचाई परियोजनाएं	1320.81	15.37	1336.18
विद्युत परियोजनाएं	606.26	73.39	679.65
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	3741.33	557.48	4298.81
मशीनरी और उपस्कर	41537.15	1297.73	42834.89
कार्यालय उपस्कर	3181.53	291.93	3473.46
वाहन	2287.77	193.62	2481.39
<b>जोड़</b>	<b>481684.96</b>	<b>9576.73</b>	<b>491261.69</b>
<b>वित्तीय परिसम्पत्तियां</b>			
इक्विटी निवेश			
शेयर	226416.88	104375.12	330792.00
बोनस शेयर	597.32	0.00	597.32
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ऋण	3567.86	-18.74	3549.12
विदेशी सरकारों को ऋण	13501.10	575.94	14077.04
कम्पनियों को ऋण	71804.53	-2733.45	69071.08
अन्य को ऋण	50331.12	10513.56	60844.68
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	301387.88	43558.86	344946.74
अन्य	194588.01	549.96	195137.97
<b>जोड़</b>	<b>862194.69</b>	<b>156821.25</b>	<b>1019015.95</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1343879.66</b>	<b>166397.98</b>	<b>1510277.64</b>

**टिप्पणियां:**

- 2 लाख की अधिकतम मूल्य वाली उपर्युक्त आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।
- राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं।
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संग्रहित करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष और रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अथ शेष के बीच अंतर मुख्यतया औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (₹2,522 करोड़) में कुछ वित्तीय आस्तियों के अथ शेष में संशोधन और आवास और शहरी मामले मंत्रालय (₹1,651 करोड़) द्वारा यथासूचित दरों के संशोधन के कारण भूमि के लागत मूल्य में वृद्धि के कारण है।

## 2 - केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		
3.00% ऋण, 1951-54	15.09.1951	86.73	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1953-55	15.07.1953	114.60	...	...	...	...	...	...
2.25% ऋण, 1954	15.11.1954	35.06	...	...	...	...	...	...
3.50% ऋण, 1954-59	15.12.1954	12.87	...	...	...	...	...	...
4.50% ऋण, 1955-60	15.09.1955	9.06	...	...	...	...	...	...
2.50% ऋण, 1955	01.10.1955	60.45	...	...	...	...	...	...
3.00% विजय ऋण, 1957	01.09.1957	114.07	...	...	...	...	...	...
4.50% ऋण, 1958-68	01.06.1958	5.85	...	...	...	...	...	...
3.00% द्वितीय विजय ऋण, 1959-61	15.08.1959	113.66	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1960	15.07.1960	45.63	...	...	...	...	...	...
4.00% ऋण, 1960-70	15.09.1960	63.30	...	...	...	...	...	...
2.50% ऋण, 1961	01.08.1961	57.01	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1962	15.11.1962	75.87	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1963-65	01.06.1963	116.17	...	...	...	...	...	...
3.00% ऋण, 1964	15.06.1964	30.33	...	...	...	...	...	...
3.00% निधियन ऋण, 1966-68	01.10.1966	110.12	...	...	...	...	...	...
3.00% प्रथम विकास ऋण, 1970-75	15.10.1970	115.06	...	...	...	...	...	...
2.75% ऋण, 1976	16.09.1976	14.77	...	...	...	...	...	...
10.79% सरकारी स्टॉक, 2015	19.05.2015	...	999.38	...	...	...	...	...
11.50% ऋण, 2015	21.05.2015	...	1899.16	...	...	...	...	...
6.49% सरकारी स्टॉक, 2015	08.06.2015	...	36105.05	...	...	...	...	...
7.17% सरकारी स्टॉक, 2015	14.06.2015	...	33071.82	...	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015	02.07.2015	...	6000.00	...	...	...	...	...
11.43% सरकारी स्टॉक, 2015	07.08.2015	...	7204.30	...	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015 II	10.08.2015	...	6000.00	...	...	...	...	...
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	42648.75	...	...	...	...	...
9.85% सरकारी स्टॉक, 2015	16.10.2015	...	7437.79	...	...	...	...	...
7.59% सरकारी स्टॉक, 2017	12.04.2016	...	68000.00	35149.48	...	...	...	...
10.71% सरकारी स्टॉक, 2017	19.04.2016	...	9000.00	8464.95	...	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2016	07.05.2016	...	6000.00	6000.00	...	...	...	...
5.59% सरकारी स्टॉक, 2016	04.06.2016	...	6000.00	6000.00	...	...	...	...
12.30% सरकारी स्टॉक, 2016	02.07.2016	...	13129.85	13129.85	...	...	...	...
7.02% सरकारी स्टॉक, 2016	17.08.2016	...	52200.00	38093.26	...	...	...	...
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	15.01.2017	...	69000.00	66964.80	...	...	...	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	53000.00	53000.00	31767.33	...	...	...
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2017	02.07.2017	...	3000.00	3000.00	3000.00	...	...	...
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	03.07.2017	...	50000.00	50000.00	27240.44	...	...	...
7.99% सरकारी स्टॉक, 2017	09.07.2017	...	71000.00	71000.00	35384.64	...	...	...
7.46% सरकारी स्टॉक, 2017	28.08.2017	...	57886.80	57886.80	37327.07	...	...	...
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	10886.80	10886.80	10886.80	...	...	...
7.83% सरकारी स्टॉक, 2018	11.04.2018	...	73000.00	73000.00	73000.00	40518.39	...	...
8.24% सरकारी स्टॉक, 2018	22.04.2018	...	75000.00	75000.00	75000.00	27203.80	...	...
10.45% सरकारी स्टॉक, 2018	30.04.2018	...	3716.00	3716.00	3716.00	3716.00	...	...
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	...	...
12.60% सरकारी स्टॉक, 2018	23.11.2018	...	12631.88	12631.88	12631.88	12631.88	...	...
5.64% सरकारी स्टॉक, 2019	02.01.2019	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	...	...
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	02.02.2019	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	...	...
7.28% सरकारी स्टॉक, 2019	03.06.2019	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	...
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	...
6.90% सरकारी स्टॉक, 2019	13.07.2019	...	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	42840.00	...
10.03% सरकारी स्टॉक, 2019	09.08.2019	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	...
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	...
8.19% सरकारी स्टॉक, 2020	16.01.2020	...	74000.00	74000.00	74000.00	74000.00	74000.00	...
6.65% सरकारी स्टॉक, 2020	09.04.2020	...	...	...	...	...	43545.96	43545.96
10.70% सरकारी स्टॉक, 2020	22.04.2020	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
7.80% सरकारी स्टॉक, 2020	03.05.2020	...	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00
8.27% सरकारी स्टॉक, 2020	09.06.2020	...	61000.00	73000.00	73000.00	73000.00	73000.00	73000.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2020	21.12.2020	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
8.12% सरकारी स्टॉक, 2020	10.12.2020	...	76000.00	76000.00	76000.00	76000.00	76000.00	76000.00
11.60% सरकारी स्टॉक, 2020	27.12.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.80% सरकारी स्टॉक, 2021	11.04.2021	...	68000.00	48000.00	66000.00	66000.00	67492.66	67492.66
7.94% सरकारी स्टॉक, 2021	24.05.2021	...	49000.00	49000.00	49425.00	49425.00	49425.00	49425.00
10.25% सरकारी स्टॉक, 2021	30.05.2021	...	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32
8.79% सरकारी स्टॉक, 2021	08.11.2021	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00
8.35% सरकारी स्टॉक, 2022	14.05.2022	...	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00
8.15% सरकारी स्टॉक, 2022	11.06.2022	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00
6.84% सरकारी स्टॉक, 2022	19.12.2022	...	...	...	26000.00	87000.00	99000.00	99000.00
6.30% सरकारी स्टॉक, 2023	09.04.2023	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
7.37% सरकारी स्टॉक, 2023	16.04.2023	...	...	...	...	...	39987.81	39987.81
7.16% सरकारी स्टॉक, 2023	20.05.2023	...	77000.00	77000.00	77100.00	77100.00	77100.00	77100.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2023	25.11.2023	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
7.68% सरकारी स्टॉक, 2023	15.12.2023	...	...	65132.01	88132.01	88132.01	88132.01	88132.01
7.35% सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	...	10000.00	65168.02	90168.02	90168.02	90168.02	90168.02
8.40% सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	...	76000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2024	07.11.2024	...	...	...	43730.00	110965.03	116965.03	116965.03
9.15% सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	...	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00
7.72% सरकारी स्टॉक, 2025	25.05.2025	...	...	86000.00	86000.00	86000.00	90031.81	90031.81
8.20% सरकारी स्टॉक, 2025	24.09.2025	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
7.59% सरकारी स्टॉक, 2026	11.01.2026	...	...	23000.00	87000.00	87000.00	119000.00	119000.00
8.33% सरकारी स्टॉक, 2026	09.07.2026	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
6.97% सरकारी स्टॉक, 2026	06.09.2026	...	...	...	76000.00	91000.00	91578.39	91578.39
10.18% सरकारी स्टॉक, 2026	11.09.2026	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.15% सरकारी स्टॉक, 2026	24.11.2026	...	65489.20	86489.20	86489.21	86489.21	86489.21	86489.21
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00	96000.00	96000.00
6.79% सरकारी स्टॉक, 2027	15.05.2027	...	...	...	...	121000.00	121000.00	121000.00
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
7.17% सरकारी स्टॉक, 2028	08.01.2028	...	...	...	...	33000.00	103000.00	103000.00
6.01% सरकारी स्टॉक, 2028	25.03.2028	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.60% सरकारी स्टॉक, 2028	02.06.2028	...	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00
6.13% सरकारी स्टॉक, 2028	04.06.2028	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
7.26% सरकारी स्टॉक, 2029	14.01.2029	...	...	...	...	...	4000.00	4000.00
7.59% सरकारी स्टॉक, 2029	20.03.2029	...	...	33000.00	88000.00	96236.79	96236.79	96236.79
6.79% सरकारी स्टॉक, 2029	26.12.2029	...	...	...	36895.11	118801.13	118801.13	118801.13
7.88 % सरकारी स्टॉक, 2029	19.03.2030	...	...	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00
7.61% सरकारी स्टॉक, 2030	09.05.2030	...	...	...	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00
9.20% सरकारी स्टॉक, 2030	30.09.2030	...	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55
8.97% सरकारी स्टॉक, 2030	05.12.2030	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
6.68% सरकारी स्टॉक, 2031	17.09.2031	...	...	...	...	85251.70	93251.70	93251.70
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2031	07.12.2031	...	...	...	...	...	43000.00	43000.00
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00
7.95% सरकारी स्टॉक, 2032	28.08.2032	...	59000.00	89000.00	89000.00	89000.00	98000.00	98000.00
8.24% सरकारी स्टॉक, 2033	10.11.2033	...	25000.00	87000.00	87275.00	87275.00	91275.00	91275.00
6.57% सरकारी स्टॉक, 2033	05.12.2033	...	...	...	10000.00	47000.00	64655.89	64655.89
7.50% सरकारी स्टॉक, 2034	10.08.2034	...	60000.00	60000.00	90000.00	90000.00	99101.13	99101.13
7.73% सरकारी स्टॉक, 2034	19.12.2034	...	...	20000.00	62000.00	98000.00	100000.00	100000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2035	25.01.2035	...	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7.40% सरकारी स्टॉक, 2035	09.09.2035	...	52000.00	52000.00	52245.00	53245.00	88245.00	88245.00
8.33% सरकारी स्टॉक, 2036	07.06.2036	...	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00
6.83% सरकारी स्टॉक, 2039	19.01.2039	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2040	02.07.2040	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2041	12.12.2041	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2042	31.12.2042	...	90000.00	90000.00	90000.00	104529.44	104529.44	104529.44
9.23% सरकारी स्टॉक, 2043	23.12.2043	...	76472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		
8.17% सरकारी स्टॉक, 2044	01.12.2044	...	21000.00	74000.00	86000.00	86000.00	89000.00	89000.00
8.13% सरकारी स्टॉक, 2045	22.06.2045	...	...	48000.00	73000.00	73000.00	98000.00	98000.00
7.06% सरकारी स्टॉक, 2046	10.10.2046	...	...	...	22000.00	55000.00	88000.00	88000.00
6.62% सरकारी स्टॉक, 2051	28.11.2051	...	...	...	10000.00	46000.00	55000.00	55000.00
7.72 % सरकारी स्टॉक, 2055	26.10.2055	...	...	9000.00	29000.00	46000.00	84000.00	84000.00
3.00% ऋण, 1896-97		8.93	...	...	...	...	...	...
3.00% रूपांतरण ऋण, 1946		248.92	...	...	...	...	...	...
ऋण परिपक्व परंतु वर्ष के अंत तक धारकों द्वारा संग्रहित नहीं		6.49	19.08	19.76	28.84	20.58		
जांच/मिलान के तहत अंतर			6.13	1.87	1.17	0.09		
2018-19 में प्रतिभूति के निर्गम में अंतरण		...	...	...	...	...		
2018-19 की शेष अवधि में अनुमानित उधार	18-19	...	...	...	...	...	132000.00	
2019-20 में अनुमानित उधार								710000.00
अंतरण के जरिए निर्गम							10665.35	50000.00
अंतरण के जरिए चुकौतियां							-10962.01	-50000.00
स्टॉक से वापसी खरीद					...	...	...	-50000.00
<b>जोड़-चालू ऋण</b>		<b>1444.95</b>	<b>3864252.14</b>	<b>4276654.83</b>	<b>4627363.67</b>	<b>5048629.22</b>	<b>5477475.49</b>	<b>5769932.13</b>

## 2क - विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33	1632.33
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41	2969.41
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28	2495.28
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55	4388.55
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33	1427.33
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24	1252.24
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11	2687.11
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05	2434.05
8.33% सरकारी स्टॉक, 2032	21.09.2032	...	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48	1522.48
<b>जोड़</b>		<b>...</b>	<b>20808.78</b>	<b>20808.78</b>	<b>20808.78</b>	<b>20808.78</b>	<b>20808.78</b>	<b>20808.78</b>

## 2ख - मुद्रास्फीति दर निर्देशित बांड

1.44% मुद्रास्फीति निर्देशित जीएस 2023	05.06.2023	...	6582.59	6582.59	1235.14	1235.14	1235.14	1235.14
आईआईएनएसएससी	05.06.2023	...	90.53	85.24	79.40	71.08	71.08	71.08
आईआईबी की वापसी खरीद		...	...	-5347.45	...	...	...	...
<b>जोड़</b>		<b>...</b>	<b>6673.12</b>	<b>1320.38</b>	<b>1314.54</b>	<b>1306.22</b>	<b>1306.22</b>	<b>1306.22</b>
<b>कुल जोड़</b>		<b>1444.95</b>	<b>3891734.04</b>	<b>4298783.99</b>	<b>4649486.99</b>	<b>5070744.22</b>	<b>5499590.47</b>	<b>5792047.13</b>

## 2ग - विपणनीय प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां

7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	3000.00	...	...	...	...	...
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	5000.00	5000.00	5000.00	...	...	...
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	6000.00	6000.00	6000.00	...	...	...
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	6130.00	6130.00	6130.00	6130.00	...	...
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	...
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	...
5.87% सरकारी स्टॉक, 2022	28.08.2022	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00
5.97% सरकारी स्टॉक, 2025	25.09.2025	...	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95	16687.95
<b>जोड़</b>		<b>...</b>	<b>67817.95</b>	<b>64817.95</b>	<b>64817.95</b>	<b>53817.95</b>	<b>47687.95</b>	<b>35687.95</b>

## 2घ - डाक विभाग को जारी भारत सरकार के विशेष बांड (लोक लेखा से बाजार ऋणों में पोलिफ का प्रतिभूतिकरण)

8.01% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2021	31.03.2021	...	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00
पीएलआई भारत सरकार के विशेष अस्थायी दर वाले बांड 2022	30.03.2022	...	...	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
8.20% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	28.03.2023	...	...	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68	6893.68
8.08% पीएलआई भारत सरकार विशेष प्रतिभूति 2023	31.03.2023	...	...	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00
<b>जोड़</b>		<b>...</b>	<b>...</b>	<b>20893.68</b>	<b>20893.68</b>	<b>20893.68</b>	<b>20893.68</b>	<b>20893.68</b>

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		

### 2ड - तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
<b>जोड़</b>			<b>130923.17</b>	<b>130923.17</b>	<b>130923.17</b>	<b>130923.17</b>	<b>130923.17</b>	<b>130923.17</b>

### 2घ - उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
<b>जोड़</b>			<b>15704.72</b>	<b>15704.72</b>	<b>15704.72</b>	<b>15704.72</b>	<b>15704.72</b>	<b>15704.72</b>
सरकार द्वारा वापसी खरीद			<b>6032.30</b>					

### 2छ - भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियां

8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
<b>जोड़</b>			<b>16200.00</b>	<b>16200.00</b>	<b>16200.00</b>	<b>16200.00</b>	<b>16200.00</b>	<b>16200.00</b>

### 2ज - आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>जोड़</b>			<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

### 2झ - आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
<b>जोड़</b>			<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>

### 2ञ - एसबीआई राइट्स इश्यू के लिए जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई राइट्स इश्यू, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
<b>जोड़</b>			<b>9996.01</b>	<b>9996.01</b>	<b>9996.01</b>	<b>9996.01</b>	<b>9996.01</b>	<b>9996.01</b>

### 2ट - आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)

आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)	29.09.2024	...	4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00
<b>जोड़</b>			<b>4586.00</b>	<b>4486.00</b>	<b>4346.00</b>	<b>4226.00</b>	<b>4001.00</b>	<b>4001.00</b>

### 2ठ - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.03.2028	...	...	...	...	13375.00	13375.00	13375.00
7.42 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	29.03.2029	...	...	...	...	13325.00	13325.00	13325.00
7.48 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	29.03.2030	...	...	...	...	13325.00	13325.00	13325.00
7.55 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	29.03.2031	...	...	...	...	13325.00	13325.00	13325.00
7.61 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	29.03.2032	...	...	...	...	13325.00	13325.00	13325.00
7.68 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	29.03.2033	...	...	...	...	13325.00	13325.00	13325.00

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					(₹ करोड़)	
							संशोधित	बजट
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	23.7.2028	...	...	...	...	...	1902.00	1902.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	23.7.2029	...	...	...	...	...	1887.00	1887.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	23.7.2030	...	...	...	...	...	1887.00	1887.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	23.7.2031	...	...	...	...	...	1887.00	1887.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	23.7.2032	...	...	...	...	...	1887.00	1887.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	23.7.2033	...	...	...	...	...	1887.00	1887.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	19.09.2028	...	...	...	...	...	394.00	394.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	19.09.2029	...	...	...	...	...	392.00	392.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	19.09.2030	...	...	...	...	...	392.00	392.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	19.09.2031	...	...	...	...	...	392.00	392.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	19.09.2032	...	...	...	...	...	392.00	392.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	19.09.2033	...	...	...	...	...	392.00	392.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	27.09.2028	...	...	...	...	...	906.00	906.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	27.09.2029	...	...	...	...	...	905.00	905.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	27.09.2030	...	...	...	...	...	905.00	905.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	27.09.2031	...	...	...	...	...	905.00	905.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	27.09.2032	...	...	...	...	...	905.00	905.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	27.09.2033	...	...	...	...	...	905.00	905.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.10.2028	...	...	...	...	...	123.00	123.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	22.10.2029	...	...	...	...	...	121.00	121.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	22.10.2030	...	...	...	...	...	121.00	121.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	22.10.2031	...	...	...	...	...	121.00	121.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	22.10.2032	...	...	...	...	...	121.00	121.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	22.10.2033	...	...	...	...	...	121.00	121.00
7.74 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	12.11.2028	...	...	...	...	...	509.00	509.00
7.81 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	12.11.2029	...	...	...	...	...	509.00	509.00
7.88 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	12.11.2030	...	...	...	...	...	509.00	509.00
7.95 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	12.11.2031	...	...	...	...	...	509.00	509.00
8.03 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	12.11.2032	...	...	...	...	...	509.00	509.00
8.11 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	12.11.2033	...	...	...	...	...	509.00	509.00
7.30 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	31.12.2028	...	...	...	...	...	4789.00	4789.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2029	31.12.2029	...	...	...	...	...	4768.00	4768.00
7.35 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2030	31.12.2030	...	...	...	...	...	4768.00	4768.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2031	31.12.2031	...	...	...	...	...	4768.00	4768.00
7.40 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2032	31.12.2032	...	...	...	...	...	4768.00	4768.00
7.45 (अहस्ता.)विशेष सरकारी प्रतिभूति 2033	31.12.2033	...	...	...	...	...	4768.00	4768.00
31.03.2019 से पहले प्रतिभूतियां जारी की जानी हैं		...	...	...	...	...	54467.00	54467.00
<b>जोड़</b>		...	...	...	...	...	<b>80000.00</b>	<b>186000.00</b>

### 2ड -एक्सिम बैंक को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी की गई भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां

31.03.2019 से पहले प्रतिभूतियां जारी की जानी हैं	...	...	...	...	...	4500.00	4500.00
जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां	...	...	...	...	...	...	550.00
<b>जोड़</b>	...	...	...	...	...	<b>4500.00</b>	<b>5050.00</b>

### 3. राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018		बजट अनुमान 2018-2019		संशोधित अनुमान 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
<b>क. संग्रहण, उन्मोचन और निवेश :</b>								
अथ शेष (ओ)	132490.28		1262949.36		1289604.15		1480502.35	
<b>1 संग्रहण और संवितरण :</b>								
(i) बचत जमा राशियां	461191.59	377163.15	469984.19	390064.63	512161.78	392165.12	537769.87	407851.73
(ii) बचत प्रमाण पत्र	43638.45	35873.14	45951.88	40248.22	44803.18	32984.18	47073.34	34333.55
(iii) लोक भविष्य निधि वर्ष में कुल संग्रहण और	87880.32	22560.20	81897.43	27719.20	89152.28	30069.74	93609.89	31272.53
संवितरण (सी)	592710.36	435596.49	597833.50	458032.05	646117.24	455219.04	678453.10	473457.81
जोड़ (1)=(ओ)+(सी)	1725200.64	435596.49	1860782.86	458032.05	1935721.39	455219.04	2158955.45	473457.81
<b>2 निवेश :</b>								
(i) 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश (i)		989942.76		1155272.18		1153164.49		1370329.66
(ii) 31.3.1999 को बकाया राशि से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश		...		...		...		...
(iii) 1.4.1999 से संग्रहणों से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	6033.05	75000.00	13533.00	30778.12	13533.00	85533.00	22268.32	88944.24
(iv) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	40567.80	9161.58	42667.78	11025.00	42533.94	12000.00	44955.76	14000.00
(v) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों का पुनर्निवेश	...	33661.00	...	57754.88	...	53000.00	...	63324.08
(vi) सरकारी एजेंसियों में निवेश	14000.00	106000.00	27868.48	127971.88	32636.00	155335.11	27000.00	136483.67
(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में निवेश	14000.00	65000.00	19000.00	...	27000.00	...	27000.00	...
(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश	...	20000.00	...	...	...	20000.00	...	...
(ग) भारतीय रेलवे वित्त निगम में निवेश	...	10000.00	...	...	...	7500.00	...	...
(घ) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	...	8000.00	...	...	...	...	...	...
(ङ) एयर इंडिया में निवेश	...	3000.00	3000.00	...	5636.00	2636.00	...	...
(च) आरईसी लि. में निवेश	...	...	...	...	...	5000.00	...	...
(छ) विद्युत वित्त निगम में निवेश	...	...	...	...	...	7500.00	...	...
(ज) अन्य	...	...	5868.48	127971.88	...	112699.11	...	136483.67
<b>वर्ष में कुल निवेश एवं अदायगी (I)</b>	<b>60600.85</b>	<b>223822.58</b>	<b>84069.26</b>	<b>227529.88</b>	<b>88702.94</b>	<b>305868.11</b>	<b>94224.08</b>	<b>302751.99</b>
<b>जोड़ (2)=(i)+(I)</b>	<b>60600.85</b>	<b>1213765.34</b>	<b>84069.26</b>	<b>1382802.06</b>	<b>88702.94</b>	<b>1459032.60</b>	<b>94224.08</b>	<b>1673081.65</b>
<b>ख. एनएसएसएफ की आय और व्यय :</b>								
<b>3 ब्याज से आय (II)</b>								
(i) 31.3.1999 को बकाया राशि से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	6779.76		6779.76		6779.76		6779.76	

	वास्तविक 2017-2018		बजट अनुमान 2018-2019		संशोधित अनुमान 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
(ii) 1.4.1999 से संग्रहणों से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	7143.59		12481.77		13714.83		17815.84	
(iii) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	52640.35		48882.65		48836.49		45497.20	
(iv) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों से विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	23383.31		57754.88		26822.17		30556.84	
(v) सरकारी एजेंसियों में निवेश	5034.08		14222.41		13078.02		20893.76	
(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में निवेश	5034.08		7527.89		9459.33		7191.33	
(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश	...		1540.00		1979.75		2803.00	
(ग) भारतीय रेलवे वित्त निगम में निवेश	...				801.00		801.00	
(घ) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	...				672.00		672.00	
(ङ) एयर इंडिया में निवेश	...		225.00		165.94		...	
(च) आरईसी लि. में निवेश	...				...		408.00	
(छ) विद्युत वित्त निगम में निवेश	...				...		608.25	
(ज) अन्य	...		4929.52		...		8410.18	
<b>उप-जोड़ [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)] (II)</b>	<b>94981.09</b>		<b>109153.59</b>		<b>109231.27</b>		<b>121543.40</b>	
<b>3.1 एनएसएसएफ की अन्य आय (ओआई) अन्य प्राप्तियां</b>	<b>418.87</b>		<b>450.00</b>		<b>660.00</b>		<b>690.00</b>	
<b>जोड़ (3)= (II)+(ओआई)</b>	<b>95399.96</b>		<b>109603.59</b>		<b>109891.27</b>		<b>122233.40</b>	
<b>4 व्याज भुगतान (आईपी):</b>								
बचत जमा राशियां	33012.78		35614.02		36623.00		38454.00	
बचत प्रमाण पत्र	28246.35		28312.32		29417.00		30811.00	
लोक भविष्य निधि	29962.69		31500.00		34410.00		36130.00	
<b>जोड़ (4)</b>	<b>91221.82</b>		<b>95426.34</b>		<b>100450.00</b>		<b>105395.00</b>	
<b>5 प्रबंधन लागत:</b>								
डाक विभाग को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	8112.64		8176.11		9211.12		10403.29	
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	203.98		250.00		250.00		262.50	
एजेंटों को एजेंसी कमीशन का भुगतान	2470.44		2066.96		2500.00		2625.00	
मुद्रण की लागत	35.00		25.00		15.00		15.00	
<b>जोड़ (5)</b>	<b>10822.06</b>		<b>10518.07</b>		<b>11976.12</b>		<b>13305.79</b>	
<b>6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की कुल आय और व्यय (3)+(4)+(5)</b>	<b>95399.96</b>	<b>102043.88</b>	<b>109603.59</b>	<b>105944.41</b>	<b>109891.27</b>	<b>112426.12</b>	<b>122233.40</b>	<b>118700.79</b>
<b>7 वर्ष में निवल आय (-)/व्यय (+)</b>		<b>6643.92</b>	<b>-3659.18</b>		<b>2534.85</b>		<b>-3532.61</b>	

टिप्पणी: 1. अल्प बचत स्कीमों के अंतर्गत दावा न की गई, के रूप में अभिज्ञात ₹ 64.43 करोड़ की राशि 2017-18 के दौरान एससीडब्ल्यूएफ को अंतरित कर दी गई थी।

2. सं.अ. 2018-19 में ₹ 1,12,699.11 करोड़ और ब.अ. 2019-20 में ₹ 1,36,483.67 अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए अभिज्ञात किए गए हैं, जिनका निवेश विवरण में उल्लिखित सरकारी एजेंसियों अथवा अन्य एजेंसियों, जैसा भी मामला हो, में किया जा सकता है।

## 4. वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	वर्ष की अवधि (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
				से	तक	वर्ष की संख्या		
<b>सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय*</b>								
(i)	<b>एनएचडीपी चरण-I</b>	<b>2,768.41</b>	<b>8,635.29</b>				<b>575.69</b>	<b>1,138.42</b>
1.	पनगढ़-पलसित (किमी. 517-581.457)	350.00	1,665.00	21-06-2005	21-12-2019	15	111.00	222.00
2.	पलसित-दांकुनी दुर्गापुर एक्सप्रेस वे (किमी. 581.457-646)	432.40	1,199.94	27-08-2005	27-02-2020	15	80.00	159.99
3.	अंकापली-टूनी को चार लेन का बनाना	295.00	884.43	09-11-2004	08-11-2019	15	58.96	117.92
4.	धर्मावरम टूनी परियोजना (आ.प्र-16) को चार लेन का बनाना	212.00	837.36	30-11-2004	29-11-2019	15	55.82	111.64
5.	धर्मावरम-राजामुंद्री परियोजना (आं.प्र-15) को चार लेन का बनाना	219.00	888.57	30-11-2004	29-11-2019	15	59.24	118.48
6.	नेल्लोर बाइपास	152.91	388.80	27-04-2005	27-10-2019	15	25.92	38.88
7.	एनएच-04 के बेलगाम-महाराष्ट्र सीमा को चार लेन का बनाना	542.80	1,515.51	20-06-2005	20-12-2019	15	101.03	202.07
8.	ताम्बरम-तिंडीवनम	564.30	1,255.68	03-05-2005	09-11-2019	15	83.72	167.44
(ii)	<b>एनएचडीपी चरण-II</b>	<b>6,294.23</b>	<b>17,838.70</b>				<b>1,061.36</b>	<b>9,029.50</b>
9.	एनएच-28 पर गोरखपुर बाइपास	600.24	1,701.00	04-04-2010	04-04-2027	17.5	97.20	923.40
10.	ग्वालियर बाईपास-पैकेज एनएस-1/बीओटी/एमपी-1	300.93	928.55	02-01-2013	06-04-2027	17.5	53.06	530.60
11.	लखनादोन-एमएच सीमा एनएस-1/बीओटी/म.प्र.2	263.17	673.05	26-09-2009	26-03-2027	17.5	38.46	346.18
12.	लखनादोन-एमपी/एमएच (एनएस-1/बीओटी/एमपी-3) में (596.75-653.225 कि.मी. एनएच-1)	407.60	672.00	22-05-2010	22-10-2027	17.5	38.40	383.96
13.	कोसी नदी और इसके एप्रोचों पर पुल तथा एनएच-57 का 148.550 से 159.185 तक गाइडबैंड और एफ्लक्सबैंड	418.04	1,084.60	04-04-2010	04-04-2027	17	63.80	701.80
14.	एनएच-2 पर ओरई- भोगनीपुर खंड पर एनएच-25 पर भोगनीपुर-बाराह खंड	465.00	1,344.60	24-10-2009	24-04-2024	15	89.64	582.66
15.	झांसी-ललितपुर खंड 0.00-49.79 एनएस-1/बीओटी/यू.पी-2	355.06	1,048.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	59.90	539.10
16.	झांसी ललितपुर सेक्शन 49.79 कि.मी. में 99.00 एनएस-1/बीओटी/यू.पी-3	276.09	838.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	47.90	431.10
17.	कोथाकोटा बाईपास 211 कि.मी. कुर्नूल (एपी/महाराष्ट्र सीमा) 230 कि.मी.	611.00	1,582.56	15-09-2006	15-09-2026	14	113.04	565.20
18.	इस्लाम नगर, एनएच-7	360.42	1,133.28	02-05-2010	02-11-2027	18	62.96	629.60
19.	एनएच-7 का इस्लाम नगर 278 कि.मी. (कडताल) से 380 कि.मी. (अरमूर)	518.46	1,597.32	03-08-2010	29-02-2028	18	88.74	887.40
20.	अडलूर येल्लारेड्डी से नागपुर-हैदराबाद के गुंडला पोचनपल्ली तक 447 कि.मी.	546.15	1,896.30	24-09-2009	25-09-2026	17.5	108.36	921.06
22.	ए.पी/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रॉसिंग और देवेनहल्ली (कर्नाटक-1)	402.34	1,185.84	20-04-2009	25-03-2027	18	65.88	592.92
23.	पालनपुर-स्वरुपगंज	498.00	1,296.30	24-03-2009	24-03-2024	15	86.42	518.52

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	वर्ष की अवधि (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि	
				से	तक	वर्ष की संख्या			
<b>(iii) एनएचडीपी चरण-III</b>		<b>3,737.70</b>	<b>10,571.54</b>				<b>731.17</b>	<b>7,909.30</b>	
	24. एनएच-33 का हजारीबाग-रांची खंड	625.07	1,986.48	14-03-2013	14-03-2028	15.5	128.16	1,281.60	
	25. अमृतसर-बाघा बार्डर	205.88	664.20	31-12-2010	30-06-2028	18	36.90	387.45	
	26. एनएच-77 का हाजीपुर मुजफ्फपुर खंड	671.70	2,365.00	01-03-2017	01-09-2029	12.5	189.20	2,175.80	
	27. एनएच-67 पर त्रिची बाई पास सहित एनएच-210 का त्रिची करायकुडी खंड	374.00	554.97	16-08-2014	15-02-2027	13	42.69	405.56	
	28. एनएच-80 का 1.430 से 70 कि.मी. मोकामा-मुंगेर खंड	351.54	998.50	19-07-2013	14-05-2026	12.5	79.88	599.1	
	29. एनएच-77 का 2,800 से 89 कि.मी. मुजफ्फपुर-सीतामढ़ी-सोनबरषा खंड को दो लेन का बनाना	512.00	1,834.00	25-05-2014	25-05-2031	17.5	104.80	1,414.80	
	30. एनएच-31 का पूर्णिया-खगड़िया खंड 270 कि.मी. से 410 कि.मी.	664.00	1,624.00	02-04-2014	02-10-2028	14.5	112.00	1,232.00	
	31. रिगस से सीकर	333.51	544.39	01-09-2014	01-09-2028	14.5	37.54	412.99	
<b>(iv) एनएचडीपी चरण-IV</b>		<b>3,704.02</b>	<b>12,987.00</b>				<b>811.00</b>	<b>10,746.90</b>	
	32. एनएच-69 का नागपुर-बेतुल खंड 137 कि.मी. 257.400 कि.मी.	2,498.76	9,596.40	18-08-2015	18-08-2031	16.5	581.60	7,851.60	
	33. लखनऊ-रायबरेली खंड को 4 लेन का बनाया जाना	635.90	1,461.60	16-07-2015	15-07-2029	14.5	100.80	1,159.20	
	34. एनएच-231, राय बरेली-जौनपुर	569.36	1,929.00	02-12-2016	02-06-2031	15	128.60	1,736.10	
<b>(v) जम्मू और कश्मीर की परियोजनाएं</b>		<b>4,019.00</b>	<b>16,390.20</b>				<b>1,038.84</b>	<b>14,341.86</b>	
	35. जम्मू-उधमपुर	1,500.00	6,864.60	01-06-2014	01-06-2031	17	403.80	5,451.30	
	36. एनएच-1क का चेनानी से नशरी खंड	2,519.00	9,525.60	07-09-2017	08-03-2032	15	635.04	8,890.56	
<b>(vi) एसएआरडीपी-पूर्वोत्तर</b>		<b>762.00</b>	<b>3,062.22</b>				<b>194.76</b>	<b>2,523.48</b>	
	37. शिलांग-बाइपास को 2 लेन का बनाना	226.00	596.88	25-09-2013	25-03-2025	12	49.74	348.18	
	38. जोरहाट-बारापानी	536.00	2,465.34	28-07-2016	28-01-2031	17	145.02	2,175.30	
<b>कुल- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय</b>		<b>21,285.36</b>	<b>69,484.95</b>				<b>4,412.83</b>	<b>45,689.46</b>	
<b>गृह मंत्रालय</b>									
<b>(i) दिल्ली पुलिस</b>									
	धीरपुर, नई दिल्ली में आवासीय परिसर का विकास	790.58	1897.00	परियोजना शुरु की जानी है			12	125.50	...
<b>(ii) दिल्ली पुलिस</b>									
	जय सिंह रोड, संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास	202.00	1178.80	निर्णय लिया जाना है			13	78.00	...
<b>कुल जोड़ - गृह मंत्रालय</b>		<b>992.58</b>	<b>3,075.80</b>				<b>203.50</b>		
<b>जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय</b>									
<b>(i) 82 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट परियोजना हरिद्वार, उत्तराखंड में</b>		244.18	185.62**	01-01-2021	31-12-2035	15	12.37	...	
<b>(ii) 50 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट परियोजना वाराणसी, उत्तर प्रदेश में</b>		211.57	169.12**	01-01-2021	31-12-2035	15	11.27	...	
<b>(iii) मथुरा में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पुर्नस्थापन एवं नवीकरण और 30 एमएलडी न्यू एसटीपी और 20 एमएलडी टीटीपी का निर्माण</b>		638.18	495**	01-01-2022	31-12-2036	15	33.00	...	

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	वर्ष की अवधि (वार्षिकी अवधि)		वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि	
				से	तक			
(iv)	शुक्ला गंज (06 एमएलडी) और उन्नाव (13 एमएलडी) के लिए इंटरसेप्शन, डायवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, मौजूदा एसटीपी (26.06 एमएलडी) के एकीकरण के साथ पंखा में 30 एमएलडी क्षमता की नए एसटीपी का विकास	1050.99	944.87**	01-01-2022	31-12-2036	15	62.99	...
(v)	फर्रुखाबाद (33 एमएलडी) के लिए इंटरसेप्शन डायवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट कार्य	224.72	179.47**	01-01-2022	31-12-2036	15	11.96	...
<b>कुल- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय</b>		<b>2369.64</b>	<b>1974.08</b>				<b>131.59</b>	<b>...</b>
<b>कुल जोड़</b>		<b>24647.58</b>	<b>74534.83</b>				<b>4747.92</b>	<b>45689.46</b>

\*1 उपर्युक्त सूची में केवल वे ही परियोजनाएं शामिल की गई हैं जो 31.3.2018 से पहले पूरी हो गई है और सालाना भुगतान के लिए पात्र हैं।

2. 31.03.2018 को (अंतिम कालम) के लंबित दायित्व का हिसाब अर्ध-वार्षिकी धनराशि से गुणा करके शेष अर्ध-वार्षिक रियायती अवधि (सालाना अवधि) के आधार पर किया गया है।

3. क्रमांक 19 और 20 पर परियोजनाओं की वार्षिकी धनराशि कम कर दी गई है।

4. वन विभाग में स्वीकृति न मिलने के कारण, परियोजना को री-लिंक कर दिया गया है और क्रमांक 11 और 12 पर परियोजनाओं के लिए वार्षिकी कम कर दी गई है।

\*\* कुल वचनबद्ध वार्षिकी परियोजनाओं का कुल मूल्य और हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मोड के तहत अगले दो वर्षों में अग्रणी चुकता की जाने वाली पूंजी लागत के 40% के बीच का अंतर है। तदनुसार, निर्माण अवधि के दौरान उपर्युक्त परियोजना के लिए भुगतान वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए क्रमशः ₹124.14 करोड़, ₹160.96 करोड़ और ₹110.46 करोड़ होगा।

**टिप्पणी:** मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथासूचित अनुमोदित वार्षिकी संविदाओं के कारण देनदारी।

## 5 विदेशी सहायता

इस अनुबंध में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से मिली विदेशी सहायता के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वर्ष 2018-2019 तथा 2019-2020 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

	वास्तविक 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019	संशोधित अनुमान 2018-2019	बजट अनुमान 2019-20
1. ऋण	48516.74	40882.39	40209.00	44673.00
2. घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	13900.73	14016.00	13762.12	12262.05
क. निवल विदेशी ऋण (1-2)	34616.01	26866.39	26446.88	32410.95
ख. नकद अनुदान	1436.56	1387.00	969.00	650.00
ग. वस्तु अनुदान सहायता	2145.64	1280.00	301.00	356.00
घ. जोड़ (क+ख+ग)	<b>38198.21</b>	<b>29533.39</b>	<b>27716.88</b>	<b>33416.95</b>
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	26685.27	29455.00	31340.00	35363.00
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	<b>11512.94</b>	<b>78.39</b>	<b>-3623.12</b>	<b>-1946.05</b>
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	5950.76	6188.00	7870.00	9765.00
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	<b>5562.18</b>	<b>-6109.61</b>	<b>-11493.12</b>	<b>-11711.05</b>

(₹ करोड़ में)

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

### (क) बहुपक्षीय

#### 1. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

#### (क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-राष्ट्रीय राजमार्ग अंतरसंपर्कता सुधार परियोजना, जल क्षेत्र सुधार परियोजना, 'स्वच्छ भारत मिशन सहायता प्रचालन', दूसरी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना, ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर-1 परियोजना आदि हैं। आईबीआरडी मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू और पीएसबी को भी सॉवरेन गारंटी ऋण प्रदान करता है।

#### (ख) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईडीए अपने सदस्य देशों को रियायती ऋण देता है। आईडीए की निधियां मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाती हैं जो संपोषणीय सहस्राब्दि (मिलेनियम) विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की ग्रामीण सड़क परियोजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, द्वितीय तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना, माध्यमिक शिक्षा परियोजना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना जैसे भारत के फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों की आईडीए ऋणों द्वारा सहायता की जा रही है।

## 2. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेने का निर्णय लिया गया था।

एडीबी के प्रचालन अब विद्युत, परिवहन और शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थागत संभरणीय जीविकोपार्जन, कौशल विकास और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, कृषि-कारोबार अवसंरचना विकास निवेश और पर्यटन तक फैल गए हैं। सरकारी खाते में एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं 'मध्य प्रदेश जिला कनेक्टिविटी क्षेत्र परियोजना', 'ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम परियोजना-3', 'दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) सड़क कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम'।

एडीबी विशेष तौर पर विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों को गारंटीकृत राजकीय ऋण भी प्रदान करता है।

## 3. यूरोपीय निवेश बैंक

यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) पूंजी निवेश के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी 'लखनऊ मेट्रो रेल लाइन' को सहायता प्रदान कर रहा है।

## 4. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। वर्तमान में, एनडीबी द्वारा तीन चालू परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

## 5. एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)

एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए ऋण देता है। वर्तमान में, एआईआईबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से तीन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

## 6. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है।

वर्तमान में, आईएफएडी द्वारा सहायता प्राप्त कुल 18 परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-समेकित आजीविका सहायता परियोजना और झारखंड जनजातीय सुधार एवं आजीविका परियोजना।

## 7. वैश्विक निधि संगठन

वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना और प्रदान करना है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में प्रचालन शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- वैश्विक निधि द्वारा सहायता प्राप्त एचआईवी एड्स नियंत्रण परियोजना 'इंक्रिजिंग एक्सेस एण्ड प्रोमोटिंग कम्प्रेहेंसिव केयर', 'सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'तपेदिक'।

## 8. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का समग्र मिशन स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कंट्री प्रोगाम वाले देशों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना है। वर्तमान कंट्री प्रोगाम (सीपी) 2013-17 में प्रजातंत्रिक सुशासन, गरीबी उन्मूलन, एचआईवी, ऊर्जा एवं पर्यावरण, स्थायी विकास और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कंट्री प्रोगाम आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर केंद्रित है।

## (ख) द्विपक्षीय स्रोत

### 1. जापान

जापान 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पर्यावरण और निवेश संवर्धन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- 'दिल्ली मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना', 'डेडिकेटेड मालभाड़ा (फ्रेट) कॉरिडोर परियोजना', 'कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना', 'चेन्नई मेट्रो परियोजना', 'बेंगलुरु जलापूर्ति और सीवेज परियोजना', 'बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना', 'अहमदाबाद मेट्रो परियोजना', 'तमिलनाडु पारेषण प्रणाली सुधार परियोजना'।

## 2. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संपोषणीय प्रयोग, संपोषणीय आर्थिक विकास।

केएफडब्ल्यू सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'तमिलनाडु में सम्पोषणीय नगर पालिका अवसंरचना वित्तपोषण', 'शूगटुंग-कर्चम पनबिजली परियोजना-एचपी', हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश में 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंट्रा ट्रांसमिशन प्रणाली' तथा हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी की जलवायु प्रूफिंग।

## 3. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पहले यूएसएसआर) के बीच विकासात्मक सहयोग साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था। यूनिट सं. 3 और 4 निर्माणाधीन हैं।

कुडनकुलम में (यूनिट 5 और 6) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2017 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के करार के प्रोटोकाल सं.2 पर हस्ताक्षर किए गए थे।

## 4. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता नवीकरण ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) हैं। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- कोची मेट्रो परियोजना, जैव-विविधता परिरक्षण और बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-II ।

**6. वर्ष 2019-20 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण प्रत्येक के सामने  
इंगित किए गए बकाया शेष के साथ**

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख	बकाया राशि
1.	7.28% सरकारी स्टॉक, 2019	03.06.2019	53000.00
2.	6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	4000.00
3.	6.05% सरकारी स्टॉक, 2019 (कोन)	12.06.2019	7000.00
4.	6.90% सरकारी स्टॉक, 2019	13.07.2019	45000.00
5.	10.03% सरकारी स्टॉक, 2019	09.08.2019	6000.00
6.	6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	56000.00
7.	6.35% सरकारी स्टॉक, 2020 (कोन)	02.01.2020	5000.00
8.	8.19% सरकारी स्टॉक, 2020	16.01.2020	74000.00
9.	<b>कुल अदायगी</b>		<b>250000.00</b>
	(i) घटाएं: वर्ष 2019-20 के बकाया स्टॉक में से प्रतिभूतियों में परिवर्तन	2160.00	
	(ii) घटाएं: वर्ष 2019-20 के बकाया स्टॉक में से प्रतिभूतियों के परिवर्तन के लिए वर्ष 2018-19 में प्रावधान	10962.01	13122.01
10.	<b>वर्ष 2019-20 में किए जाने वाली अदायगी (9-9(i) व (ii))</b>		<b>236877.99</b>
11.	सरकारी स्टॉक के परिवर्तन / पुनर्खरीद		
	(i) प्रतिभूतियां के परिवर्तन हेतु प्रावधान	50000.00	
	(ii) सरकारी स्टॉक की पुनर्खरीद हेतु प्रावधान	50000.00	
			100000.00
	<b>जोड़ (10+11)</b>		<b>336877.99</b>